



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 105-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 10, 2025 (JYAISTHA 20, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 जून, 2025

संख्या 24/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 59/2025.—हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) की धारा 59 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 17/आ0-1/पं0अ01/1914/धा0 9/2025, दिनांक 6 फरवरी, 2025 के प्रतिनिर्देश से मैं, विनय प्रताप सिंह, आबकारी आयुक्त, हरियाणा, वित्तायुक्त की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके द्वारा, हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता हूँ, अर्थात्:—

1. (1) ये नियम हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति (संशोधन) नियम, 2025 कहे जा सकते हैं।  
(2) ये जून, 2025, के बारहवें दिन से लागू होंगे।
2. हरियाणा मदिरा अनुज्ञप्ति नियम, 1970 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 24 में,—
  - (i) खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—
    - “(i) प्ररूप अनु0-1 में अनुज्ञप्ति के लिए,—
      - (क) यदि किसी आबकारी जिले में नीति वर्ष 2025-2027 के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का कोटा 18 लाख प्रूफ लीटर से कम या के बराबर है, तो ₹3.45 करोड़;
      - (ख) यदि किसी आबकारी जिले में नीति वर्ष 2025-2027 के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का कोटा 18 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 45 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है, तो ₹4.15 करोड़;
      - (ग) यदि किसी आबकारी जिले में नीति वर्ष 2025-2027 के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का कोटा 45 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 90 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है, तो ₹5.00 करोड़;
      - (घ) यदि किसी आबकारी जिले में नीति वर्ष 2025-2027 के लिए भारत में निर्मित विदेशी मदिरा का कोटा 90 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है, तो ₹6.65 करोड़ है:

अनु0-1 अनुज्ञप्ति की फीस दो बराबर किस्तों में जमा की जाएगी, अर्थात् 50 प्रतिशत आबंटन के समय और शेष 50 प्रतिशत राशि प्रथम अप्रैल, 2026 से पहले जमा की जाएगी।

यदि खुदरा जोनों का कोई नया अनुज्ञप्तिधारी या मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी प्रथम अप्रैल, 2026 के बाद अनु0-1 अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना चाहता है, तो 01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए 60 प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस लागू होगी:

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि प्रत्येक अनु0-1 अनुज्ञप्ति के लिए कुल अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर प्रतिदेय प्रतिभूति/बैंक गारंटी जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन किसी भी राशि या शास्ति के लिए जब्त या समायोजित होने के लिए दायी होगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को अनु0-1 अनुज्ञप्ति फीस के 80 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति बांड भी प्रस्तुत करना होगा:

परन्तु यह और कि यदि अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी अतिरिक्त आबकारी शुल्क से बचने के लिए मदिरा की कोई अवैध या गुप्त बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी की तरफ शास्ति आदि के कारण देय राशि की वसूली उसके द्वारा अपने खुदरा ठेके (अनु0-2) अनुज्ञप्ति की जमा की गई प्रतिभूति से भी की जाएगी और किसी अनु0-1 गोदाम के स्टॉक में कमी के मामले में 15,000 से अधिक प्रूफ लीटर और 30,000 प्रूफ लीटर तक न्यूनतम शास्ति, जो उल्लंघन के लिए लगायी जा सकती है, ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क के 1.5 गुना से कम नहीं होगी। किसी अनु0-1 गोदाम के स्टॉक में 30,000 प्रूफ लीटर से अधिक की कमी की दशा में, उल्लंघन के लिए लगाई जाने वाली न्यूनतम शास्ति ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क के 2 गुना से कम नहीं होगी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा, शेष अन्य सभी प्रकार की मदिरा पर 0.5 प्रतिशत और बीयर पर 1 प्रतिशत टूट-फूट की छूट की अनुमति दी जाएगी। टूट-फूट के स्टॉक के सम्बन्ध में उद्गृहीत आबकारी शुल्क वापस/समायोजित नहीं किया जायेगा।”;

(ii) खण्ड (i-क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-क) प्ररूप अनु0-3 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹2,00,000/-वर्ष 2025-2027 हेतु”;

(iii) खण्ड (i-खख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-ख ख) प्ररूप अनु0-4/अनु0-5 में अनुज्ञप्तियों के लिए:-

(क) 5 स्टार ग्रेडिंग तथा से अधिक के होटलों को ₹85,00,000

प्रदान की गई अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति:

परन्तु गुरुग्राम-मानेसर अर्बन कॉम्प्लेक्स योजना, 2031 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के भीतर होटल तथा रेस्तरां को भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी तथा ऐसे स्थानों के लिए भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तियों प्रदान की जाएगी, जहाँ हरियाणा राज्य औद्योगिक तथा अवसंरचना विकास निगम ने औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र तथा थीम/विशिष्ट पाक्र विकसित किए हैं जैसे औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर, औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, बावल, औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, रोहतक, सूचना प्रौद्योगिकी पाक्र मानेसर, सूचना प्रौद्योगिकी पाक्र, पंचकुला इत्यादि। औद्योगिक शहरों धारुहेड़ा और बहादुरगढ़ में प्रतिष्ठित रेस्तरां को भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी और मोरनी उप-तहसील क्षेत्र में स्थित प्रतिष्ठित होटलों और रेस्तरां को भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति भी प्रदान की जाएगी। अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर समितियों और महानगर विकास प्राधिकरणों जैसे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण तथा सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण आदि के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित प्रतिष्ठित होटलों और रेस्तरां को भी प्रदान किए जा सकते हैं:

परन्तु यह और कि ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी अतिरिक्त फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित एक मुख्य बार तथा तीन अतिरिक्त बिन्दु अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसी अनुज्ञप्तियां आगे रात-दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात की जाएंगी। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रेफ्रीजरेटर्स में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं। यदि अनुज्ञप्तिधारी एक या अधिक अतिरिक्त स्थलों को उप-पट्टे पर देना चाहता है, तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी से 20 लाख रुपये प्रत्येक अतिरिक्त स्थल के लिए निर्धारित फीस प्रभारित की जाएगी। अनु04/अनु0-5 बाजार (बार) के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा के विक्रय पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

(ख) 4 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल

₹60,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी अतिरिक्त फीस के बिना, कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित एक मुख्य बार तथा दो अतिरिक्त स्थल अनुज्ञात किए जाएंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को आगे रात-दिन मुख्य बार को संचालित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति रखने वाले होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रैफ्रीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि राज्य में कहीं भी अवस्थित किसी होटल को भी अनन्तिम रूप से अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी इस शर्त के अधधीन कि आवेदक ऐसी अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने वाले एक वर्ष के अन्दर पर्यटन मन्त्रालय, भारत सरकार से 3 सितारा तथा इससे उपर का वर्गीकरण प्रस्तुत करेगा तथा असफल होने की स्थिति में अनन्तिम अनुज्ञप्ति का बाद में नवीकरण नहीं किया जाएगा। अनुज्ञप्ति अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के एक मास के भीतर स्टार रेटिंग के लिए आवेदन करेगा।

(ग) 3 स्टार की ग्रेडिंग वाले होटल के लिए,—

क्रम संख्या	जिले का नाम	अनुज्ञप्ति फीस
1	गुरुग्राम	₹53,00,000
2	फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत	₹38,00,000
3	सभी अन्य जिले	₹30,00,000:

परन्तु ऐसे अनुज्ञप्तिधारियों को किसी अतिरिक्त फीस के बिना, एक अतिरिक्त स्थल तथा कक्ष सर्विस (अनु0-3) सहित एक मुख्य बार अनुज्ञात किया जाएगा। अनु0-3 अनुज्ञप्ति वाले होटल अन्य खाद्य वस्तुओं तथा पेय पदार्थों के साथ-साथ होटल कक्षों में रखे रैफ्रीजरेटरों में मदिरा रखने के लिए अनुमत हैं:

परन्तु यह और कि अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति राज्य के किसी भी स्थान पर अवस्थित तीन सितारा और सितारा होटलों की ऊपर की श्रेणियों को भी दिया जाएगा। राज्य में पर्यटन/साहसिक खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रतिष्ठित होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां आदि को अनु0-4/अनु0-5 के रूप में बार अनुज्ञप्ति प्रदान करने का मामला, जिसमें अच्छी अवसंरचना और सुविधाएं हैं, लेकिन आबकारी नीति के सम्बन्धित खंडों में वर्णित भौगोलिक प्रतिबन्ध से बाहर स्थित हैं, पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसे सभी मामले आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा अपनी सिफारिश सहित सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

राज्य में कहीं भी स्थित विद्यमान कार्यात्मक बारों की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के द्वारा कलक्टर की ओर से किया जाएगा:

परन्तु यह और कि उपरोक्त वर्णित प्रवर्ग (क), (ख) तथा (ग) के ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को उसकी वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस के 50 प्रतिशत के बराबर एकमुश्त फीस के भुगतान पर बैंकवट हाल तथा मुख्य बार से भूमिगत लान, स्रोत सहित अपने परिलक्षित तथा अनुमोदित हालों के तीन (03) तक में किए गए कार्यों, पार्टियों, आयोजनों तथा बैठकों में मदिरा परोसने के लिए भी अनुज्ञात किया जाएगा।

अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी तालिका-I में यथा विनिर्दिष्ट उद्ग्रहणों के भुगतान के बाद, निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) खरीदेंगे। उक्त दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से कोई भी बार अनुज्ञप्तिधारी से वर्ष 2025-2027 के लिए आबकारी नीति के खण्ड 9.5.14 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक कीमत की मांग नहीं कर सकता है। उक्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या एक से अधिक आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) ब्रांड की आपूर्ति न होने की स्थिति में, चाहे अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से बार अनुज्ञप्तिधारी उनके द्वारा चाही गई आवश्यक सभी ब्रांडों की मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित करते हुए अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त को प्रस्तुत कर सकता है। सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तुरन्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश में तय की गई अवधि के भीतर मांग को पूरा करने के लिए लिखित रूप में निर्देश देगा, लेकिन किसी भी मामले में पन्द्रह दिन से अधिक नहीं। दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या अधिक ब्रांडों की मांग को पूरा करने में विफलता के मामले में उपरोक्त के अनुसार उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि में बार अनुज्ञप्तिधारी, राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे ब्रांड की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा, जो तालिका-II के अनुसार मूल्यांकन फीस, परमिट फीस और खुदरा परमिट फीस के भुगतान के अधधीन होगा। बार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनु0-1खच से ऐसी प्रत्येक खरीद में बार अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के साथ-साथ खरीदे जाने वाले सभी ब्रांडों की मात्रा निर्दिष्ट करते हुए एक पूर्व लिखित सूचना उस जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) को दे जहाँ ऐसा अनु0-1खच स्थित है।

## तालिका-I

अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण		
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

## तालिका-II

अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण			
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस	खुदरा परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹20 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

- (घ) प्ररूप अनु04/अनु0-5 में अनुज्ञप्ति के लिए, खण्ड (क), (ख), (ग), (घ) तथा (ङ.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(क) जिला गुरुग्राम के लिए	₹45,00,000
(ख) जिला फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत के लिए	₹35,00,000
(ग) गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत को छोड़कर राज्य में सभी अन्य जिलों के लिए	₹23,00,000
(घ) सभी जिलों में हरियाणा पर्यटन निगम प्रशमन द्वारा संचालित बार (बारों) के लिए	₹2,70,00,000 की फीस
(ङ) सभी जिलों में हरियाणा शहरी विकास प्रशमन प्राधिकरण द्वारा उनके जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में संचालित बार	₹2,70,00,000 की फीस:

परन्तु ₹6.00 लाख की प्रशमन प्रतिभूति हरियाणा पर्यटन विभाग तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण से प्रशमन अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त ली जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि कोई भी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारी, वाइन/बीयर/आरटीबी/साइडर/लिक्योर के सिवाय जाम की बजाय बोतलों में मदिरा की बिक्री या बेहिसाब मदिरा की बिक्री या होलोग्राम/आबकारी चिपकाने वाले लेबलों के बिना मदिरा की बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन कोई भी अनुज्ञप्ति रखने के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा, यदि वह एक वर्ष में दूसरी बार उपरोक्त किसी भी अपराध(अपराधों) में लिप्त पाया जाता है।

आगे, ऐसी अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर जहाँ उपरोक्त उल्लंघन एक वर्ष में दूसरी बार हुआ है, तो उस परिसर को भी रद्द करने के आदेश से दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के तहत किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने से रोक दिया जाएगा। इस खण्ड में ‘परिसर’ शब्द का अर्थ सम्पूर्ण भवन नहीं बल्कि केवल अनुमोदित अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र होगा।

- टिप्पण 1. पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए किसी भी अतिरिक्त स्थल को प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान भुगतान पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जाएगी।
- टिप्पण 2. हरियाणा पर्यटन निगम तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उनके अपने जिमखाना तथा गोल्फ क्लबों में बार चलाने की दशा में, उन्हें ऐसे प्रत्येक स्थल के लिए एक लाख रूपए के बराबर फीस के भुगतान पर चलाने की अनुमति दी जाएगी।”;
- (ड.) अनु0-4, अनु0-5, अनु0-10ग, अनु010ड, अनु0-12ग तथा अनु0-12गग अनुज्ञप्तियों की अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान सात समान त्रैमासिक किस्तों में किया जाएगा, जो आबकारी नीति के खण्ड 2.1 में दिए गए अनुसार प्रत्येक तिमाही के पहले सप्ताह की शुरुआत में भुगतानयोग्य होगा, ऐसा न करने पर अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकती है और प्रतिभूति जब्त की जा सकती है।”;
- (iv) खण्ड (i-खखख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
- “(i-खखख) प्ररूप अनु0-4क में अनुज्ञप्ति के लिए ₹2,00,000/- आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 हेतु”;
- (v) खण्ड (i-ग) तथा उसके सामने प्रतिष्ठियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रतिष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-
- “(i-ग) प्ररूप अनु0-1कख में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है	₹82,00,000/-
2.	यदि नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹124,00,000/-
3.	यदि नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक या 100 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹228,00,000/-
4.	यदि नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1कख से वार्षिक बिक्री 100 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है	₹310,00,000/-

जैसे ही नीति वर्ष 2025-27 में अनु0-1कख अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि निम्नलिखित श्रेणियों में यथा विहित है, अनुज्ञप्तिधारी को जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी:-

क्रम संख्या	आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के दौरान अनु0-कख (प्रूफ लीटर में) से बिक्री की सीमा	लागू अनुज्ञप्ति फीस
1	45 लाख प्रूफ लीटर तक या उसके बराबर	₹82,00,000/-
2	45 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 90 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर	₹124,00,000/-
3	90 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 180 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर	₹228,00,000/-
4	180 लाख प्रूफ लीटर से अधिक	₹310,00,000/-

प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए लागू अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर वापसी योग्य प्रतिभूति/बैंक गारंटी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण/प्रदान के समय जमा की जाएगी।”;

(vi) खण्ड (i-गग) तथा उसके सामने प्रतिष्ठियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रतिष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(i-गग) प्ररूप अनु0-1कख1 में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1कख1 से वार्षिक बिक्री 50 लाख बल्क लीटर के बराबर या उससे कम है	₹104,00,000 /-
2.	यदि नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1कख1 से वार्षिक बिक्री 50 लाख बल्क लीटर से अधिक और 100 लाख बल्क लीटर से कम या उसके बराबर है	₹207,00,000 /-
3.	यदि नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1कख1 से वार्षिक बिक्री 100 लाख बल्क लीटर से अधिक है	₹310,00,000 /-
जैसे ही नीति वर्ष 2025-27 में अनु0-1कख1 अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि निम्नलिखित श्रेणियों में यथा विहित है, अनुज्ञप्तिधारी को जैसा कि अगली उच्च श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी:-		
क्रम संख्या	आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के दौरान अनु0-1कख1 (बल्क लीटर में) से बिक्री की सीमा	लागू अनुज्ञप्ति फीस
1	90 लाख बल्क लीटर तक या उसके बराबर	₹104,00,000 /-
2	90 लाख बल्क लीटर से अधिक और 180 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर	₹207,00,000 /-
3	180 लाख बल्क लीटर से अधिक	₹310,00,000 /-
प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए लागू अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर वापसी योग्य प्रतिभूति/बैंक गारंटी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण/प्रदान के समय जमा की जाएगी।”;		

(vii) खण्ड (i-ड.) तथा उसके सामने प्रतिष्ठियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रतिष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(i-ड.) प्ररूप अनु0-1ख में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है	₹62,00,000 /-
2.	यदि नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 25 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 50 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹145,00,000 /-
3.	यदि नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 50 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 100 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹259,00,000 /-
4.	यदि नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 100 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 250 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर है	₹362,00,000 /-
5.	यदि नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) में अनु0-1ख से वार्षिक बिक्री 250 लाख प्रूफ लीटर से अधिक है	₹830,00,000 /-
जैसे ही नीति वर्ष 2025-27 में अनु0-1ख अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, जैसा कि निम्नलिखित श्रेणियों में यथा विहित है, अनुज्ञप्तिधारी को, जैसा कि अगली उच्च		

श्रेणी में लागू है, अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी:-		
क्रम संख्या	आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के दौरान अनु0-1ख (प्रूफ लीटर में) से बिक्री की सीमा	लागू अनुज्ञप्ति फीस
1	45 लाख प्रूफ लीटर तक या उसके बराबर	₹62,00,000 / -
2	45 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 90 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर	₹145,00,000 / -
3	90 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 180 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर	₹259,00,000 / -
4	180 लाख प्रूफ लीटर से अधिक और 450 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर	₹362,00,000 / -
5	450 लाख प्रूफ लीटर से अधिक	₹830,00,000 / -

प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए लागू अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर वापसी योग्य प्रतिभूति/बैंक गारंटी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण/प्रदान के समय जमा की जाएगी।”;

(viii) खण्ड (i-ड.ड.) में, खण्डों (क) तथा (ख) तथा उनके सामने प्रतिष्ठियों के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड तथा उनके सामने प्रतिष्ठियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(क) प्ररूप अनु0-1ख-1 में अनुज्ञप्ति के लिए (बीयर के लिए),-

(I) नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ अनु0-1ख-1 द्वारा बीयर की वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) 50 लाख बल्क लीटर के बराबर या उससे कम है	₹73,00,000 / -
(II) यदि अनु0-1ख-1 द्वारा बीयर की वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2024-25 (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक), 50 लाख बल्क लीटर से अधिक है	₹260,00,000 / -:

परन्तु जैसे ही नीति वर्ष 2025-27 में अनु0-1ख-1 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बीयर की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में यथाविहित, अनुज्ञप्तिधारी को, अगली उच्च श्रेणी में यथालागू अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी:-

क्रम संख्या	आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के दौरान अनु0-1ख-1 (बल्क लीटर में) से बिक्री की सीमा	लागू अनुज्ञप्ति फीस
1	90 लाख बल्क लीटर तक या उसके बराबर	₹73,00,000 / -
2	90 लाख बल्क लीटर से अधिक	₹260,00,000 / -

(ख) प्ररूप अनु0-1ख-1 में अनुज्ञप्ति के लिए (वाइन के लिए) ₹45,00,000:

परन्तु यह और कि बीयर/वाइन पर लगाया गया आबकारी शुल्क भी अनु0-1बी1 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा परमिट प्राप्त करते समय उद्गृहीत किया जाएगा।

प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए लागू अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर वापसी योग्य प्रतिभूति/बैंक गारंटी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण/प्रदान के समय जमा की जाएगी।”;

(ix) खण्ड (i-ड.ड.) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(i- ड.ड.) प्ररूप अनु01-ख1-क (पीने के लिए तैयार पेय) में अनुज्ञप्ति के लिए,-

1.	नई अनुज्ञप्ति के मामले में या जहाँ अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2024-25 में (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) एक लाख बल्क लीटर के बराबर या उससे कम है	₹21,00,000 / -
2.	यदि अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2024-25 में (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) एक लाख बल्क लीटर से अधिक और चार लाख बल्क लीटर से कम या उसके बराबर है	₹42,00,000 / -

3.	यदि अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2024-25 में (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) चार लाख बल्क लीटर से अधिक और आठ लाख बल्क लीटर से कम या उसके बराबर है	₹104,00,000 / -
4.	यदि अनु01-ख1-क से वार्षिक बिक्री, नीति वर्ष 2024-25 में (अर्थात् 12 जून, 2024 से 11 जून, 2025 तक) आठ लाख बल्क लीटर से अधिक है	₹210,00,000 / -
जैसे ही नीति वर्ष 2025-27 में अनु01-ख1-क अनुज्ञप्तिधारी की बिक्री उच्च सीमा से अधिक हो जाती है, निम्नलिखित श्रेणियों में यथाविहित, अनुज्ञप्तिधारी को, अगली उच्च श्रेणी में यथालागू अनुज्ञप्ति की अन्तर राशि जमा करवानी होगी:-		
क्रम संख्या	आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के दौरान अनु01-ख1-क (बल्क लीटर में) से बिक्री की सीमा	लागू अनुज्ञप्ति फीस
1	1.8 लाख बल्क लीटर तक या उसके बराबर	₹21,00,000 / -
2	1.8 लाख बल्क लीटर से अधिक और 7.2 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर	₹42,00,000 / -
3	7.2 लाख बल्क लीटर से अधिक और 14.4 लाख प्रूफ लीटर से कम या उसके बराबर	₹104,00,000 / -
4	14.4 लाख बल्क लीटर से अधिक	₹210,00,000 / -
प्रत्येक अनुज्ञप्ति के लिए लागू अनुज्ञप्ति फीस के 20 प्रतिशत के बराबर वापसी योग्य प्रतिभूति/बैंक गारंटी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण/प्रदान के समय जमा की जाएगी।”;		

(x) खण्ड (i-ड.ड.ड.ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-ड.ड.ड.ड.) प्ररूप अनु0-1खच में अनुज्ञप्ति के लिए,-

- (क) अनु0-1खच के लिए आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹8,25,00,000 / - होगी।
- (ख) विभागीय पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन आमन्त्रित करके अनुज्ञप्ति प्रदान की जाएगी।
- (ग) यदि, पहले दौर में प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या सोलह (16) से अधिक या उसके बराबर है, अनु0-1खच अनुज्ञप्ति सभी पात्र आवेदकों को दी जाएगी। ऐसे मामले में, विभाग राज्य में अनु0-1खच के आबंटन के लिए कोई और दौर (दौरे) शुरू नहीं करेगा:

परन्तु यदि पहले दौर में प्राप्त पात्र आवेदनों की संख्या सोलह (16) से कम है, तो विभाग शेष अनु0-1खच अनुज्ञप्तियों के आबंटन के लिए और दौर (दौरे) शुरू करेगा। शेष अनु0-1खच अनुज्ञप्तियों की संख्या की गणना सोलह (16) से पिछले सभी दौर(रों) में आबंटित अनु0-1खच की संख्या घटाकर की जा सकती है:

परन्तु यह और कि यदि दूसरे या किसी बाद के दौर में पात्र आवेदनों की संख्या उस विशेष दौर में आबंटन के लिए उपलब्ध अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों की शेष संख्या से अधिक हो जाती है, तो ऐसे शेष अनु0-1खच अनुज्ञप्तियों को उस विशेष दौर के पात्र आवेदकों के बीच ड्रा ऑफ लॉटस द्वारा प्रदान किया जाएगा।

- (घ) आवेदक को केवल एक आवेदन करने की अनुमति होगी। आवेदक हरियाणा राज्य या किसी अन्य राज्य में कोई थोक अनुज्ञप्तिधारी, या कोई स्वत्वधारी फर्म या कोई भागीदारी फर्म या कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी या सुसंगत विधि के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन पंजीकृत कोई फर्म होगी।

- (ड.) आवेदक ₹5,00,000 की आवेदन फीस जमा करेगा। आवेदन फीस गैर-प्रतिदेय और गैर-समायोज्य होगी। आवेदन के साथ ₹50,00,000 की अग्रिम राशि भी होगी। आवेदन, आवेदक की पहचान स्थापित करने वाले दस्तावेजों के साथ होगा। सभी व्यक्तियों के पहचान प्रमाण, जैसे स्वत्वधारी, सभी भागीदार, निदेशक और प्राधिकृत व्यक्ति, यदि कोई भी ऐसा प्राधिकृत है, तो आवेदन के साथ ही ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।



- (च) सभी आवेदन, जो आबकारी विधि के उपबन्धों के अनुसार सही पाए गए हैं, को पात्र माना जाएगा। विभाग अपनी विभागीय वेबसाइट पर पात्र आवेदकों की सूची प्रकाशित करेगा और इसे उसकी अनुज्ञप्ति के आबंटन की तिथि माना जाएगा। अनुज्ञप्ति नीति वर्ष के प्रारम्भ की तिथि से या अनुज्ञप्ति के प्रदान किए जाने की तारीख से, जो भी बाद में हो, से वैध होगी।
- (छ) पात्र आवेदक ₹1.25 करोड़ के बराबर प्रतिभूति राशि आबंटन की तिथि के एक सप्ताह के भीतर या ऐसे अन्य समय के भीतर, जो नोटिस में विहित किया जाए, जमा करवाएगा। अग्रिम राशि, प्रतिभूति राशि के भुगतान के लिए समायोज्य होगी। अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति प्रदान के समय, अपने मदिरा गोदाम की भंडारण क्षमता की घोषणा करना भी आवश्यक होगी।
- (ज) निम्नलिखित मामलों में आवेदक की अग्रिम धनराशि जब्त कर ली जाएगी:—
- यदि वह निर्धारित समय के भीतर प्रतिभूति राशि जमा करने में विफल रहता है; या
  - यदि कोई सफल आवेदक दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहता है, जो उसे आबंटन के सात दिन के भीतर विभाग को प्रस्तुत करना आवश्यक है; या
  - यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने अपने आवेदन में कोई गलत जानकारी या जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं; या
  - यदि वह किसी कदाचार में लिप्त होने का दोषी पाया जाता है; या
  - किन्हीं अन्य कारणों के लिए जिन्हें आबकारी आयुक्त उचित समझे।
- (झ) पात्र आवेदक अन्य सभी दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगा, जो सार्वजनिक नोटिस, समय-समय पर जारी अनुदेशों, हरियाणा आबकारी अधिनियम, 1914 (1914 का पंजाब अधिनियम 1) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में विनिर्दिष्ट किए गए हों। पात्र/सफल आवेदक, संचालन शुरू करने से पहले, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग अनुज्ञप्ति, आधार कार्ड (यूआईडी)/पीपीपी (परिवार पहचान पत्र) जैसे फोटोयुक्त पहचान प्रमाण, पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों के लिए आयकर रिटर्न, आईसीएआई से पंजीकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित न्यूनतम 60 लाख रुपये की कुल संपत्ति और निर्धारित प्रारूप में एक जमानत बांड जैसे दस्तावेज भी जमा करेगा।
- (ञ) आवेदक को अपनी प्रतिभूति राशि जमा करवाने के बाद अनुज्ञप्तिधारी माना जाएगा।
- (ट) अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान सोलह मासिक किस्तों में करना होगा, जिनमें से प्रत्येक किस्त 47.50 लाख रुपये होगी। सोलह किस्तों में से पहली किस्त का भुगतान आबंटन के कैलेंडर मास के अन्तिम दिवस तक किया जाएगा। शेष पंद्रह किस्तों का भुगतान आबंटन के मास से आगामी मास से शुरू होकर, प्रत्येक मास की 20 तिथि तक किया जायेगा, जब तक सभी पंद्रह किस्त प्राप्त नहीं हो जाती।

यदि अनुज्ञप्ति 2025 के अक्टूबर मास के बाद दी जाती है, तो अनुज्ञप्ति फीस घटक 7.60 करोड़ रुपये को बराबर मासिक किस्तों में इस तरह से विभाजित किया जाएगा कि पूरी राशि 20 जनवरी, 2027 तक प्राप्त हो जाए। आबंटन के कैलेंडर मास के अन्तिम दिवस तक किस्तों का भुगतान किया जाएगा और शेष मासिक किस्त का भुगतान आबंटन के मास से आगामी प्रत्येक मास की 20 तिथि तक किया जाएगा। अनुज्ञप्ति फीस का शेष भाग, 1.25 करोड़ रुपये प्रतिभूति राशि से समायोजित किया जाएगा। प्रतिभूति से बकाया राशि, यदि कोई है, अनुज्ञप्तिधारी की ओर देय किसी भी राशि को समायोजित करने के बाद वापस कर दी जाएगी।

भारत में बनी विदेशी मदिरा और देशी मदिरा के खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों के उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्ति फीस जमा करवाने में विलम्ब अवधि के लिए ब्याज उदग्रहणीय होगा।

- (ठ) हरियाणा राज्य में अनु0-2खच खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को आयातित विदेशी मदिरा का मूल कोटा आबंटित किया जाएगा जो बाईस लाख पेट्टी होगा। यह कोटा आबकारी तथा कराधान आयुक्त(वित्तायुक्त) द्वारा मूल कोटे के 50 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। नीति वर्ष 2025-2027 के दौरान प्रत्येक अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी के लिए न्यूनतम कोटा 1,37,500 पेट्टियाँ होंगी। यदि अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों की संख्या सोलह से अधिक है, तो सभी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों के बीच न्यूनतम कोटा आनुपातिक रूप से कम कर दिया जाएगा। प्रत्येक अनु0-1खच के लिए आयातित विदेशी मदिरा (बी.आई.ओ.) के विस्की, बीयर और वाइन सेगमेंट का न्यूनतम कोटा निर्धारित किया गया है। अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी के लिए न्यूनतम कोटा निम्नानुसार तय किया गया है:—

आयातित विदेशी मदिरा (बी.आई.ओ.) विस्की	1,20,313 पेटी (न्यूनतम कोटे का 87.5 प्रतिशत)
आयातित विदेशी मदिरा (बी.आई.ओ.) वाइन	10,312 पेटी (न्यूनतम कोटे का 7.5 प्रतिशत)
आयातित विदेशी मदिरा (बी.आई.ओ.) बीयर	6,875 पेटी (न्यूनतम कोटे का 5 प्रतिशत)

इसके अलावा, अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस का भुगतान किए इस न्यूनतम निर्धारित कोटे से अधिक आयातित विदेशी मदिरा (बी.आई.ओ.) की कोई भी मात्रा उठा सकता है। अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कोटा उठाने की निगरानी त्रैमासिक आधार पर की जाएगी। अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी के लिए कोटा उठाने की सूची निम्नानुसार होगी:-

(i) तिमाही-1	कोटा का न्यूनतम 15 प्रतिशत
(ii) तिमाही-2	कोटा का न्यूनतम 30 प्रतिशत
(iii) तिमाही-3	कोटा का न्यूनतम 45 प्रतिशत
(iv) तिमाही-4	कोटा का न्यूनतम 60 प्रतिशत
(v) तिमाही-5	कोटा का न्यूनतम 74 प्रतिशत
(vi) तिमाही-6	कोटा का न्यूनतम 89 प्रतिशत
(vii) तिमाही-7	कोटा का न्यूनतम 100 प्रतिशत:

परन्तु आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के चालू रहने के दौरान आबंटित अनु0-1खच अनुज्ञप्ति के मामले में, तिमाही-वार कोटा की गणना दिनों की संख्या के आधार पर समान रूप से विभाजित की जाएगी:

परन्तु यह और कि नीति वर्ष में अनुज्ञप्तिधारी को कोटे की न्यूनतम मात्रा उठानी होगी। न्यूनतम कोटा उठाने में विफलता की दशा में, विस्की की प्रत्येक पेटी पर ₹2500 और बीयर तथा वाइन की प्रत्येक पेटी पर ₹2000 की शास्ति लगाई जाएगी। प्रत्येक गणना किए हुए तिमाही के अन्त में उठाए गए कोटा की कम मात्रा के लिए शास्ति लगाई जाएगी। तथापि, किसी तिमाही में कोटे की कमी के मामले में, शास्ति लगाई गई है, तो कोटा की उसी कमी के सम्बन्ध में किसी भी अनुवर्ती तिमाही में फिर से शास्ति नहीं लगाई जाएगी।

- (ड) अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी को इसकी आपूर्ति की खरीद के लिए परमिट जारी करते समय मूल्यांकन फीस तथा परमिट फीस वसूल की जाएगी। मूल्यांकन फीस तथा परमिट फीस की दरें निम्न प्रकार से होगी :-

आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस
विस्की	₹175 प्रति बल्क लीटर	₹50 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹120 प्रति बल्क लीटर	₹40 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹95 प्रति बल्क लीटर	₹40 प्रति बल्क लीटर

- (ढ) आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) पर वैट 3 प्रतिशत के साथ 5 प्रतिशत अधिभार की दर से प्रभारित किया जाएगा।
- (ण) राज्य में आपूर्ति किए जाने वाले आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) के प्रत्येक ब्रांड के लेबल विभाग में पंजीकृत किये जाएंगे। ब्रांड को विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकृत किया जाएगा। किसी भी लागू विधि के उल्लंघन या आबकारी नियमों के किसी भी उपबन्ध के उल्लंघन के लिए लेबल रद्द करने के लिए दायी होंगे। सभी प्रकार की आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) ब्राण्डों के पंजीकरण के लिए ₹30,000/- की फीस प्रभारित की जाएगी।
- (त) शामिल बोतलों के आकार को ध्यान में रखे बिना, प्रति बोतल ₹3,000/- की शास्ति, अनु0-1खच के परिसरों, या अनु0-1, अनु0-2, अनु0-2खच, अनु0-4 तथा अनु0-5, अनु0-12ग, अनु0-12छ, अनु0-10ख, अनु0-10ड़ इत्यादि जैसे किसी अन्य परिसरों पर पाई गई विस्की और

वाइन की हर बेहिसाब बोतल पर लगाई जाएगी। शास्ति उन अनुज्ञप्तिधारियों पर लगाई जाएगी, जिसके परिसर पर शराब पाई गई है। बीयर के मामले में, शास्ति ₹1,500/- प्रति बोतल, बोतल के आकार को ध्यान में रखे बिना लगाई जाएगी।

- (थ) आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की विस्की और वाइन के स्टॉक पर, प्रति बोतल ₹2,000/- की शास्ति, किसी भी अनुज्ञप्त परिसर पर कम पाए जाने पर, लगाई जाएगी। बीयर के मामले में, प्रति बोतल ₹1,000/- की शास्ति लगाई जाएगी।
- (द) अनु0-1खच अनुज्ञप्ति किसी ऐसे स्थल पर स्थित नहीं होगा, जो किसी कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से पाँच किलोमीटर से कम हो।

वैध आयात निर्यात प्रमाणपत्र (आईईसी) रखने वाला कोई भी व्यक्ति और जो (क) राज्य में स्थित कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस में सीधे आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) आयात करने; या (ख) राज्य के बाहर किसी अन्य कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की खेप को राज्य में अपने स्वयं के कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस में प्राप्त करने; या (ग) राज्य में अपने स्वयं के कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से राज्य के भीतर या बाहर स्थित किसी अन्य कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस को आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की खेप भेजने; या (घ) राज्य के भीतर या बाहर स्थित अपने कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी को आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की खेप आपूर्ति करने की इच्छा रखता है, तो विभाग के साथ ऐसे कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस को पंजीकृत करना अपेक्षित होगा। ऐसे व्यक्ति को ₹1,00,000 के पंजीकरण शुल्क के साथ विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करना होगा। पंजीकरण के लिए आवेदन आबकारी तथा कराधान आयुक्त, हरियाणा के कार्यालय में, ऐसी रीति में, जो विनिर्दिष्ट की जाए, प्रस्तुत किया जाएगा।

राज्य में स्थित किसी भी कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस और आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की राज्य के अन्दर या राज्य से बाहर आपूर्ति करने वाले को (हरियाणा में और बाहर के लिए) मदिरा की सभी प्राप्तियों और प्रेषणों की मासिक जानकारी विभाग द्वारा, यथाविहित रीति और प्ररूप में, प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी। इसके अतिरिक्त, राज्य से बाहर स्थित किसी भी कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस और आयातित विदेशी शराब (बी0आई0ओ0) की हरियाणा राज्य के अन्दर आपूर्ति करने वाले को विभाग द्वारा, यथाविहित रीति और प्ररूप में, हरियाणा के अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों को ऐसी आपूर्ति की मासिक जानकारी प्रस्तुत करनी अपेक्षित होगी। अनुपालना न करने की दशा में, ऐसे कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से आपूर्ति रोक दी जाएगी।

ऐसे कस्टम बॉण्ड वेयरहाउस से जारी आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की सभी खेपों के साथ बीजक की एक प्रति, कस्टम प्राधिकरण द्वारा जारी परमिट, कस्टम अधिकारियों द्वारा जारी पास और आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली घोषणा संलग्न होनी चाहिए।

- (ध) वर्ष 2024-2025 के लिए अनु0-1खच का निवर्तमान अनुज्ञप्तिधारी नीति वर्ष 2025-2027 के लिए आने वाले किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को दिनांक 11 जून, 2025 को आयातित विदेशी मदिरा का बचा हुआ स्टॉक अन्तरित कर सकता है। विस्की, स्कॉच, रम, वोदका, जिन और ब्रांडी इत्यादि के लिए ₹75/- प्रति बल्क लीटर की दर से और वाइन के लिए ₹25/- प्रति बल्क लीटर और बीयर के लिए ₹100/- प्रति बल्क लीटर की दर से अन्तरण फीस भी लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को निर्धारण शुल्क, यदि कोई हो, की अंतर राशि का भुगतान भी करना होगा।
- (न) अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी पूरे राज्य में अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति करने का हकदार होगा। अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी आगे अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति करेगा। अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों को पूरे राज्य में बार अनुज्ञप्तिधारियों को आपूर्ति करने की भी अनुमति होगी।
- (प) अनुज्ञप्तिधारी, स्वीकृत परिसर में आवश्यक अग्निशमन उपकरण स्थापित करेगा और हरियाणा अग्निशमन तथा आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2022 (2022 का 14), यदि लागू हो, के मानदंडों की अनुपालना करेगा।
- (फ) आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) के थोक आउटलेट्स अर्थात् अनु-1खच अनुज्ञप्तिधारियों के पास जिला कार्यालय स्तर पर लाइव फीड की ऑनलाइन पहुंच के साथ प्रवेश, निकास और परिसर में पर्याप्त संख्या में सीसीटीवी कैमरे होंगे।

(ब) इस नियम के उपबंधों की अननुपालना होने पर विधि के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

(भ) अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी कोई खुदरा बिक्री नहीं करेगा।”;

(xi) खण्ड (i- डडडडड) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i-डडडडड) प्ररूप अनु0-2खच में अनुज्ञप्ति के लिए,-

(क) अनु0-2खच अनुज्ञप्ति अनिवार्य रूप से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) की बिक्री के लिए ठेके क्षमता के अनुसार भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (अनु0-2) के कुछ निश्चित खुदरा ठेकों को प्रदान की जायेगी। अनिवार्य अनु0-2खच अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस अलग से नहीं ली जाएगी, इसे खुदरा जोन की अनुज्ञप्ति फीस में ही शामिल माना जाएगा। ऐसे प्रत्येक अनु0-2खच को आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) का न्यूनतम कोटा दिया जाएगा और इसे आबकारी व्यवस्था में प्रदर्शित किया जायेगा। अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को अनिवार्य रूप से यह कोटा उठाना होगा। अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों के लिए न्यूनतम कोटे में विस्की, वाइन और बीयर का अनुपात क्रमशः 87.5 प्रतिशत, 7.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत होगा। अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी अतिरिक्त फीस के आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कोटा पाने के हकदार होंगे। आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) का कोटा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के कोटे से अलग होगा।

(ख) राज्य के भारत में निर्मित विदेशी मदिरा (अनु0-2) के खुदरा ठेके, जो आबकारी व्यवस्था में निर्धारित हैं, के अतिरिक्त, प्रत्येक 1000 पेटियों के न्यूनतम कोटा के लिए ₹2,00,000/-के गुणक में अनुज्ञप्ति फीस पर अनु0-2खच के रूप में भी अनुज्ञप्ति प्राप्त कर सकते हैं।

(ग) अनु0-2 तथा अनु0-14क के खुदरा ठेकों के मामले में कोटा उठाने और कोटा नहीं उठाने के लिए शास्ति के प्रावधान इन अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों पर भी लागू होंगे। तथापि, कम कोटा उठाने पर विस्की के लिए शास्ति ₹2,500/-प्रति पेट्टी तथा बीयर और वाइन के लिए ₹2,000/-प्रति पेट्टी होगी।

(घ) अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारी, जिले के किसी भी अनु0-1 से अपनी आपूर्ति प्राप्त कर करेंगे।

(ड.) प्ररूप अनु0-2खच में अनुज्ञप्ति उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा कलक्टर (आबकारी) की ओर से प्रदान किया जाएगा।

(xii) खण्ड (i-छ) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“(i-छ) प्ररूप अनु0-1-ग में अनुज्ञप्ति के लिए

प्रत्येक के सामने नीचे दी गई दरों पर आबकारी नीति अवधि के अनुसार फीस

(I) विस्की/स्कोच

₹9,00,000/- प्रति ब्राण्ड

(II) बीयर

₹5,50,000/- प्रति ब्राण्ड

(III) रम

₹4,00,000/- प्रति ब्राण्ड

(IV) जिन/वोदका/लिक्युअर

₹2,25,000/- प्रति ब्राण्ड

(V) वाइन/ब्राण्डी/साइडर/शैमपेन

₹45,000/- प्रति ब्राण्ड

(VI) विस्की/सीएसडी की आपूर्ति के लिए स्कॉच

₹3,60,000/- प्रति ब्राण्ड

(VII) सीएसडी की आपूर्ति के लिए

₹55,000/- प्रति ब्राण्ड

वोदका/ब्राण्डी/ साइडर/वाइन तथा शैमपेन

(VIII) देशी मदिरा

₹9,00,000/- प्रति ब्राण्ड

(IX) पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)

₹2,70,000/- प्रति ब्राण्ड

(X) राज्य से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड लेबल फीस

(क) विस्की/स्कोच/रम/जिन/वोदका/

₹2,70,000/-प्रथम राज्य के लिए

देशी मदिरा/बियर के प्रत्येक विशेष ब्रांड लेबल के लिए

₹90,000/-प्रत्येक बाद वाले राज्य के लिए

(ख) वाइन/ब्रांडी/साइडर/शैमपेन/पीने के लिए तैयार पेय (आरटीबी)/लिक्युअर के प्रत्येक विशेष ब्रांड लेबल के लिए ₹1,35,000/-प्रथम राज्य के लिए ₹45,000/- प्रत्येक बाद वाले राज्य के लिए

(XI) देश से बाहर निर्यात के लिए ब्रांड लेबल फीस सभी ब्रांड ₹1,80,000/-

(XII) वर्ष के दौरान किसी भी अनुमोदित लेबल में इस तालिका में क्रम संख्या बाद में कोई भी परिवर्तन (I)से (XI) में वर्णित लागू फीस का 1/

(xiii) खण्ड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(ii) भारत में निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल के लिए प्ररूप अनु0-11 में अनुज्ञप्ति, प्रति वर्ष 83,00,000/-रुपये अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर दी जाएगी, जिसका नवीनीकरण प्रति वर्ष 83,00,000/-रुपये के भुगतान पर किया जायेगा:

परन्तु यह और कि अनु0-11 के प्ररूप में अनुज्ञप्ति रखने वाले अनुज्ञप्तिधारी, हरियाणा में बोतल बंद किए जाने वाले ब्राण्डों के लिए आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के लिए विशेषाधिकार के आधार पर प्रति ब्राण्ड 12.60 लाख रुपये का पंजीकरण फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगा:

परन्तु यह और कि आ0-2 अनुज्ञप्ति और मद्य-1 अनुज्ञप्ति के अनुज्ञप्तिधारी जो अपने स्वयं के ब्राण्डों के अलावा अन्य ब्राण्ड की बोतल बन्द करते हैं, उन्हें भी प्ररूप अनु0-11 में अनुज्ञप्तिधारक के समरूप दर पर पंजीकरण फीस का भुगतान करने के लिए भी दायी होगा:-

उपरोक्त निर्दिष्ट दोनों प्रवर्गों की ऐसी बॉटलिंग अनुज्ञप्तियों के लिए पंजीकरण फीस के अतिरिक्त, निम्नलिखित दरों पर विशेषाधिकार फीस का भुगतान करने के लिए दायी होगा:-

#### विशेषाधिकार फीस

मदिरा का प्रकार	हरियाणा में बिक्री हेतु	हरियाणा से बाहर निर्यात हेतु
भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट	₹24.00/- प्रति पूफ लीटर	₹10.00/- प्रति पूफ लीटर
बीयर	₹14.00/- प्रति बल्क लीटर	₹5.00/- प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹5.00/- प्रति बल्क लीटर	₹5.00/- प्रति बल्क लीटर";

(xiv) खण्ड (ii-ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ii-ग) भारत में बनी विदेशी स्पिरिट तथा बीयर पर बाटलिंग फीस निम्न अनुसार उदगृहीत की जाएगी:-

		राज्य के भीतर आपूर्ति के लिए	भारत के भीतर राज्य से बाहर आपूर्ति के लिए	भारत के बाहर निर्यात के लिए
(क)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग डी-2 अनुज्ञप्ति के लिए	₹15.00/- प्रति पूफ लीटर	₹3.50/-प्रति पूफ लीटर	शून्य
(ख)	उनके अपने ब्राण्ड की बाटलिंग प्लांट बाटलिंग के लिए	₹20.00/- प्रति पूफ लीटर	₹5.50/-प्रति पूफ लीटर	शून्य
(ग)	उपरोक्त (क) तथा (ख) में न आने वाले ब्राण्ड की बाटलिंग के लिए तथा जहाँ फ्रेन्चाईजी फीस उदगृहीत नहीं की गई है	₹24.00/- प्रति पूफ लीटर	₹6.00/-प्रति पूफ लीटर	शून्य
(घ)	बुअरज के द्वारा बीयर की बाटलिंग के लिए	₹13.00/- प्रति बल्क लीटर	₹1.50/-प्रति बल्क लीटर	शून्य:

परन्तु यदि कोई फ्रेन्चाईजी द्वारा फीस उदगृहीत नहीं की गई है, तो निर्यात के लिए मदिरा के साथ साथ स्थानीय उपभोग के लिए मदिरा पर भी, जहाँ भी लागू हो, बोतल बन्द शुल्क लगाया जाएगा। ”;

(xv) खण्ड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iii) प्ररूप अनु0-12 में अनुज्ञप्ति के लिए ₹2,000”;

(xvi) खण्ड (iv) में, अन्त में विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“परन्तु प्ररूप अनु0-12 क में अस्थायी अनुज्ञप्ति संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा एक व्यक्ति को एक दिन के दौरान शराब परोसने के लिए कब्जा सीमा से अधिक के लिए दी जाएगी। किसी भी व्यक्तिगत समारोह, मिलन समारोह या विवाह समारोह आदि की मेजबानी हेतु निम्नलिखित स्थानों के लिए अनु0-12क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा:-

- बैंक्विट हाल, होटलों, क्लबों, रेस्तरां, फार्म हाउस, सामुदायिक केन्द्रों, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सार्वजनिक पार्कों/स्थलों और धर्मशालाओं में शराब परोसने के लिए;
- किसी विशिष्ट दिन पर अस्थायी आधार पर अपने अनुज्ञप्त परिसरों के बाहर शराब परोसने के लिए अनुज्ञप्त होटलों, रेस्तरां तथा क्लबों के लिए;
- कोई अन्य निजी स्थान।

वाणिज्यिक स्थानों जैसे बैंकट हाल, पार्टी हॉल/लॉन वाले होटलों को सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में आबकारी विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा। पार्टी हॉल/लॉन वाले बैंकट हॉल और होटलों का पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार होगा:-

क्रम संख्या	बैंक्विट हॉल/होटल की अवस्थिति	पंजीकरण फीस
1	गुरुग्राम, मानेसर, पंचकुला, फरीदाबाद तथा सोनीपत के नगर निगमों की सीमाओं के भीतर	₹4,00,000 / -
2	महानगर विकास प्राधिकरणों जैसे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण, फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण, सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण और पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण आदि की सीमाओं के भीतर परन्तु नगर निगम के अधीन क्षेत्र को छोड़कर	₹2,00,000 / -
3	अम्बाला, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक तथा यमुनानगर के नगर निगमों की सीमाओं के भीतर	₹1,00,000 / -
3	अन्य नगर परिषद्/समिति सीमा	₹50,000 / -
4	जिले की नगरपालिका सीमा के बाहर राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग पर पडने वाले बैंक्विट हाल/होटल (आबकारी नीति तथा आबकारी नियमों के उपबन्धों के अधीन)	₹50,000 / -
5	ग्रामीण क्षेत्रों में पडने वाले बैंकट हॉल(उपरोक्त श्रेणी में विनिर्दिष्ट से भिन्न)	₹20,000 / -

अनु0-12क अनुज्ञप्ति के लिए फीस संरचना निम्नानुसार होगी:-

(i)	अपंजीकृत वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्ति के लिए	गुरुग्राम, मानेसर, पंचकुला, फरीदाबाद तथा सोनीपत के नगर निगमों की सीमाओं के भीतर	₹20,000 / - प्रतिदिन प्रति समारोह
-----	--	---	-----------------------------------

		अन्य नगरपालिकाओं में	₹15,000 /— प्रतिदिन प्रति समारोह
		ग्रामीण क्षेत्रों में	₹5,000 /— प्रतिदिन प्रति समारोह
(i)	पंजीकृत वाणिज्यिक स्थानों पर मदिरा परोसने वाले व्यक्ति के लिए	गुरुग्राम, मानेसर, पंचकुला, फरीदाबाद तथा सोनीपत के नगर निगमों की सीमाओं के भीतर	₹15,000 /— प्रतिदिन प्रति समारोह
		अन्य नगरपालिकाओं में	₹12,500 /— प्रतिदिन प्रति समारोह
		ग्रामीण क्षेत्रों में	₹2,500 /— प्रतिदिन प्रति समारोह
(ii)	निजी स्थान पर कब्जा सीमा से बाहर मदिरा परोसने के लिए व्यक्तिगत हेतु	राज्य भर में	₹5,000 /— प्रतिदिन प्रति समारोह

प्ररूप अनु0-12क अनुज्ञप्ति में किसी भी क्लब, होटल या रेस्तरां के अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर में अस्थायी अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। सभी वाणिज्यिक स्थलों पर अनु0-12क अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन में ब्योरे जैसे कैटरर का नाम और जी.एस.टी.आई.एन मेहमानों की अनुमानित संख्या और परोसी जाने वाली मदिरा की मात्रा शामिल होंगे:

परन्तु यह और कि यदि किसी भी बैंक्विट हॉल/होटल इत्यादि में वैध अनु0-12क अनुज्ञप्ति के बिना मदिरा परोसी जाती है, तो ऐसे बैंक्विट हॉल या होटल के मालिक/प्रबंधन/प्राधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम अपराध के लिए ₹50,000 /—, द्वितीय अपराध के लिए ₹1,00,000 /— और तृतीय अपराध के लिए ₹1,50,000 /— की शास्ति अधिरोपित की जाएगी। आगे, कोई पश्चातवर्ती उल्लंघन की दशा में, ऐसे बैंक्विट हाल या होटल इत्यादि को एक वर्ष की अवधि के लिए कोई भी आबकारी अनुज्ञप्ति/परमिट प्रदान करने के लिए विवर्जित कर दिया जाएगा।

प्ररूप अनु0-12कक में अस्थायी अनुज्ञप्ति के लिए—,

अनु0-12कक अनुज्ञप्ति मनोरंजन शो, प्रदर्शनियों, कॉमेडी शो, मैजिक शो, मेगा शो, सेलिब्रिटी कार्यक्रमों और इसी तरह के अन्य कार्यक्रमों जैसे इवेंट के दौरान मदिरा परोसने के लिए कार्यक्रम आयोजकों सहित किसी भी व्यक्ति को नीचे दर्शाई गई आवेदन फीस के भुगतान पर दी जाएगी,

ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या	प्रति दिन प्रत्येक आयोजन हेतु आवेदन फीस (₹ में)
10000 तक	₹5,00,000 /—
10001 या ऊपर	₹20,00,000 /—

यह अनुज्ञप्ति एक बार में अधिकतम तीन दिनों की अवधि के लिए लागू की जाएगी और आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा प्रदान की जाएगी। आवेदन फीस के अतिरिक्त, आवेदक को ऐसी मदिरा पर यथालागू आबकारी शुल्क, मूल्यांकन फीस, वैट और अन्य सरकारी उदग्रहण अग्रिम में भुगतान करना अपेक्षित होगा।

अनु0-12कक अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा और बीयर पर निम्नलिखित दरों पर निर्धारण फीस का भुगतान करेगा:—

मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस की दर
भारत में निर्मित विदेशी मदिरा/आयातित विदेशी मदिरा (मूल रूप में बोतलबन्द)(बी0आई0ओ0)	₹450 /— प्रति प्रूफ लीटर
बीयर/पीने के लिए तैयार पेय (आर0टी0बी0) तथा कोई अन्य श्रेणी	₹300 /— प्रति बल्क लीटर

अनु0-12कक अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बार अनुज्ञप्तिधारियों के लिए यथा लागू दरों पर वेट भुगतानयोग्य होगा। प्ररूप अनु0-12क तथा अनु0-12कक में अस्थायी अनुज्ञप्ति 24 घण्टे के लिए या जिस दिन के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है उसके अगले दिन के 02:00 बजे तक, जो भी पहले हो, वैध रहेगी। प्ररूप अनु0-12क तथा अनु0-12कक में अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक को कार्यक्रम/समारोह से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व ऐसे अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना होगा।”;

(xvii) खण्ड (iv-ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv-ख) प्ररूप अनु0-12ग में अनुज्ञप्ति के लिए,-

वर्ग	अनुज्ञप्ति का प्रकार	जिला	नीति वर्ष 2025-2027 अनुज्ञप्ति फीस	अतिरिक्त स्थल (गणना/अनुज्ञप्ति फीस)
(i)	एक प्रतिष्ठित क्लब को प्रदान की गई अनु0-12ग	महानगर विकास प्राधिकरण वाले जिलों के लिए	₹42,00,000/-	3 स्टार रेटिंग वाले अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति पर लागू उपबंधों के अनुसार
		अन्य जिलों के लिए	₹21,00,000/-	
(ii)	एक आवासीय सहस्वामित्व को प्रदान की गई अनु0-12ग	गुरुग्राम	₹32,00,000/-	बिना स्टार रेटिंग वाले अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति पर लागू उपबंधों के अनुसार:
		फरीदाबाद	₹25,00,000/-	
		सभी अन्य जिले	₹16,00,000/-	

परन्तु अनु0-12ग अनुज्ञप्ति, राज्य में कहीं भी स्थित प्रतिष्ठित क्लबों को प्रदान की जाएगी। अनु0-12ग अनुज्ञप्ति, राज्य में कहीं भी स्थित आवासीय सहस्वामित्व में भी प्रदान की जाएगी।

यह इस शर्त के अधीन होगी कि केवल सहस्वामित्व के निवासी या उनके मेहमान अनु0-12ग अनुज्ञप्ति वाले क्लब में सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात होंगे:

परन्तु यह और कि किसी भी सेना प्रायोजित क्लब जैसे सरहिन्द क्लब, अम्बाला को अनु0-12ग अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने पर, सेना के कर्मचारियों को सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से अपने कोटे का उपयोग करना अनुज्ञात किया जाएगा जबकि नागरिक सदस्य सी.एस.डी. कैंटीन के माध्यम से आपूर्ति की जाने वाली मदिरा के लिए हकदार नहीं होंगे। ऐसे क्लब के लिए अनुज्ञप्ति फीस ₹10/-लाख आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के अनुसार होगी:

परन्तु यह और कि यदि कोई भी अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारी, वाइन/बीयर/आरटीबी/साईडर/लिक्योर के सिवाय जाम की बजाय बोटलों में मदिरा की बिक्री या बेहिसाब शराब की बिक्री या होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाला लेबलों के बिना शराब की बिक्री, में लिप्त पाया जाता है तो तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने के लिए विवर्जित किया जाएगा, यदि वह एक वर्ष में दूसरी बार उपरोक्त किसी भी अपराध(अपराधों) में लिप्त पाया जाता है।

इसके अलावा, ऐसे अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर जहाँ उपरोक्त उल्लंघन एक वर्ष में दूसरी बार हुआ है, तो उस परिसर को भी रद्द करने के आदेश से दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के तहत किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने से रोक दिया जाएगा। इस खण्ड में ‘परिसर’ शब्द का अर्थ सम्पूर्ण भवन नहीं बल्कि केवल अनुमोदित अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र होगा।

अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारी तालिका-1 में यथा विनिर्दिष्ट उदग्रहणों के भुगतान के बाद निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) खरीदेंगे। उक्त दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से कोई भी बार अनुज्ञप्तिधारी से वर्ष 2025-2027 के लिए आबकारी नीति के खण्ड 9.5.14 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक कीमत की मांग नहीं कर सकता है। उक्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या एक से अधिक आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) ब्रांड की आपूर्ति न होने की स्थिति में, चाहे अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से, बार अनुज्ञप्तिधारी उनके द्वारा चाही गई आवश्यक सभी ब्रांडों की मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित करते हुए अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त को प्रस्तुत कर सकता है। सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तुरन्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश में तय की गई अवधि के भीतर मांग को पूरा करने के लिए लिखित रूप में निर्देश देगा, लेकिन किसी भी मामले में पन्द्रह दिन से अधिक नहीं। दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या अधिक ब्रांडों की मांग को पूरा करने में विफलता के मामले में उपरोक्त के अनुसार उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि में बार अनुज्ञप्तिधारी राज्य में किसी भी अनु0-1खच



अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे ब्रांड की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा, जो तालिका-II के अनुसार मूल्यांकन फीस, परमिट फीस और खुदरा परमिट फीस के भुगतान के अध्वधीन होगा। बार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनु0-1खच से ऐसी प्रत्येक खरीद में बार अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के साथ-साथ खरीदे जाने वाले सभी ब्रांडों की मात्रा निर्दिष्ट करते हुए एक पूर्व लिखित सूचना उस जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) को दे जहाँ ऐसा अनु0-1खच स्थित है।

तालिका-I

अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण		
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

तालिका-II

अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण			
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस	खुदरा परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹20 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

अनु012-ग के माध्यम से आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा के विक्रय पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा:

परन्तु यह और कि पाँच लाख रुपये की प्रतिदेय प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12ग अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।

टिप्पण:— पहले से ही अनुज्ञात उपरोक्त दिए गए किसी भी अतिरिक्त स्थल को प्रत्येक ऐसे स्थल के लिए नीति वर्ष अनुज्ञप्ति फीस की 20 प्रतिशत फीस के समान भुगतान पर चलाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा प्रति अनुज्ञप्ति अधिकतम तीन अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति दी जाएगी।”;

(xviii) खण्ड (iv-ग) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

“(iv-ग) प्ररूप अनु0-12गग में अनुज्ञप्ति के लिए,—

(क) 9 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब ₹60,00,000 /—  
(दो विक्रय स्थलों सहित)

(ख) 18 होल तक क्षमता सहित गोल्फ क्लब ₹100,00,000 /—:  
(तीन विक्रय स्थलों सहित)

परन्तु मदिरा परोसने के लिए अनुज्ञप्ति केवल 9 होल या उससे अधिक सुविधाओं वाले गोल्फ क्लबों को प्रदान की जाएगी तथा उन्हें किसी भी होटल या किसी भी प्रकार की बार अनुज्ञप्ति के साथ अतिरिक्त स्थल चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अनु0-12गग क्लब बार अनुज्ञप्तिधारियों को ₹30 /— लाख प्रति अतिरिक्त स्थल के बराबर शुल्क के भुगतान पर दो और अतिरिक्त स्थल खोलने की अनुमति होगी। अनु012-गग के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा के विक्रय पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा।

अनु0-12गग अनुज्ञप्तिधारी तालिका-I में यथा विनिर्दिष्ट उद्ग्रहणों के भुगतान के बाद निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) खरीदेंगे। उक्त दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से कोई भी बार अनुज्ञप्तिधारी से वर्ष 2025-2027 के लिए आबकारी नीति के खण्ड 9.5.14 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक कीमत की मांग नहीं कर सकता है। उक्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या एक से अधिक आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) ब्रांड की आपूर्ति न होने की स्थिति में, चाहे अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से बार अनुज्ञप्तिधारी उनके द्वारा चाही गई आवश्यक सभी ब्रांडों की मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित करते हुए अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त को प्रस्तुत कर सकता है। सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तुरन्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश तय की गई अवधि के भीतर मांग को पूरा करने के लिए लिखित रूप में निर्देश देगा, लेकिन किसी भी मामले में पन्द्रह दिन से अधिक नहीं। दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या अधिक ब्रांडों की मांग को पूरा करने में विफलता के मामले में उपरोक्त के अनुसार उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि में बार अनुज्ञप्तिधारी राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे ब्रांड की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा, जो तालिका-II के अनुसार मूल्यांकन फीस, परमिट फीस और खुदरा परमिट फीस के भुगतान के अधीन होगा। बार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनु0-1खच से ऐसी प्रत्येक खरीद में बार अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के साथ-साथ खरीदे जाने वाले सभी ब्रांडों की मात्रा निर्दिष्ट करते हुए एक पूर्व लिखित सूचना उस जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) को दे जहाँ ऐसा अनु0-1खच स्थित है।

## तालिका-I

अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण		
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

## तालिका-II

अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण			
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस	खुदरा परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹20 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

परन्तु यह और कि यदि कोई भी अनु0-12गग अनुज्ञप्तिधारी, वाइन/बीयर/आरटीबी/साइडर/लिक्योर के सिवाय जाम की बजाय बोतलों में मदिरा की बिक्री या बेहिसाब मदिरा की बिक्री या होलोग्राम/आबकारी चिपकने वाला लेबलों के बिना मदिरा की बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो तुरन्त उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी और प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी। यदि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी एक वर्ष में दूसरी बार उपरोक्त किसी अपराध (अपराधों) में लिप्त पाया जाता है, तो उसे दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के अधीन किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने से वंचित कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, ऐसे अनुज्ञप्ति प्राप्त परिसर जहाँ उपरोक्त उल्लंघन एक वर्ष में दूसरी बार हुआ है, तो उस परिसर को भी रद्द करने के आदेश से दो वर्ष की अवधि के लिए आबकारी अधिनियम के तहत किसी भी अनुज्ञप्ति को रखने से रोक दिया जाएगा। इस खण्ड में 'परिसर' शब्द का अर्थ सम्पूर्ण भवन नहीं बल्कि केवल अनुमोदित अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र होगा:

परन्तु ₹5.00 लाख की प्रतिदेय प्रतिभूति, अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त अनु0-12गग कल्ब बार अनुज्ञप्तिधारियों से ली जाएगी।”;

(xix) खण्ड (v) में, उप-खण्ड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(i) देशी मदिरा (अनु0-13) के थोक ठेके के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस निम्नलिखित अनुसार होगी:-

- (1) ₹124.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का कोटा नीति वर्ष 2025-2027 के अनुसार 45 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे कम है।
- (2) ₹156.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का कोटा नीति वर्ष 2025-2027 के अनुसार 45 लाख प्रूफ लीटर से अधिक या 90 लाख प्रूफ लीटर से कम है।
- (3) ₹207.00 लाख, यदि आबकारी जिले में देशी शराब का कोटा नीति वर्ष 2025-2027 के अनुसार 90 लाख प्रूफ लीटर के बराबर या उससे अधिक है।

आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के लिए अनु0-13 अनुज्ञप्ति की फीस दो बराबर किस्तों में जमा की जाएगी अर्थात् आबंटन के समय 50 प्रतिशत तथा शेष 50 प्रतिशत राशि प्रथम अप्रैल, 2026 से पहले जमा की जाएगी।

यदि कोई नया अनुज्ञप्तिधारी या मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी प्रथम अप्रैल, 2026 के बाद अनु0-13 अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना चाहता है, तो प्रथम अप्रैल, 2026 या प्रदान करने की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए 60 प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस लागू होगी:

परन्तु ऐसी कोई भी अनुज्ञप्ति तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक प्रत्येक अनु0-13 अनुज्ञप्ति के लिए कुल अनुज्ञप्ति फीस के 30 प्रतिशत के बराबर प्रतिदेय प्रतिभूति/बैंक गारंटी जमा नहीं की जाती है, जो अधिनियम के अधीन किसी भी राशि या जुर्माना के लिए जब्त या समायोजित होने के लिए दायी होगी। इसके अतिरिक्त, अनुज्ञप्तिधारी को अनु0-13 अनुज्ञप्ति फीस के 70 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति बांड भी प्रस्तुत करना होगा:

परन्तु यह और कि यदि अनु0-13 अनुज्ञप्तिधारी, अतिरिक्त आबकारी शुल्क से बचने के लिए मदिरा की अवैध या गुप्त बिक्री में लिप्त पाया जाता है, तो ऐसे अनु0-13 अनुज्ञप्तिधारी की तरफ शास्ति आदि के कारण देय होने वाली राशि की वसूली, उसके द्वारा अपने खुदरा ठेके (अनु0-14ए) अनुज्ञप्ति के लिए जमा की गई प्रतिभूति से भी की जाएगी और किसी अनु0-13 गोदाम के स्टॉक में कमी के मामले में, 10,000 प्रूफ लीटर से अधिक और 20,000 प्रूफ लीटर तक, न्यूनतम शास्ति, जो उल्लंघन के लिए लगाई जा सकती है, ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त आबकारी आबकारी शुल्क के 1.5 गुना से कम नहीं होगी। यदि किसी अनु0-13 गोदाम के स्टॉक में 20,000 प्रूफ लीटर से अधिक की कमी पाई जाती है, तो उल्लंघन के लिए लगाई जाने वाली न्यूनतम शास्ति, ऐसे स्टॉक पर देय अतिरिक्त आबकारी शुल्क के 2 गुणा से कम नहीं होगी। मैट्रो सहित देशी मदिरा पर 0.5 प्रतिशत टूट-फूट की छूट की अनुमति दी जाएगी। टूट-फूट के स्टॉक के सम्बन्ध में अधिरोपित आबकारी शुल्क वापस/समायोजित नहीं किया जायेगा।”;

3. उक्त नियमों में, नियम 27 में, खण्ड (i) में, “₹25,000” चिह्न तथा अंकों के स्थान पर, “₹50,000” चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किये जाएंगे।”।

4. उक्त नियमों में, नियम 27-क में, उप-नियम (1) में, खण्ड (iii), (iv), (v) तथा (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(iii) शापिंग माल की दुकानों में स्थित, जिनका ₹20,00,000/-: न्यूनतम कालीन क्षेत्र 300 वर्ग फीट है, प्ररूप अनु0-10ख में अनुज्ञप्ति के लिए फीस

परन्तु अनु0-10ख अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य के किसी भी अनु0-1 खच अनुज्ञप्तिधारी या जिले के किसी भी अनु0-1 अनुज्ञप्तिधारी से आयातित विदेशी मदिरा (बी0आई0ओ0) खरीदने की अनुमति होगी। अनु0-10ख अनुज्ञप्तिधारी किसी भी अतिरिक्त मूल्यांकन फीस के भुगतान के बिना अपने जोन के आयातित विदेशी मदिरा के मूल कोटे के 10 प्रतिशत तक अतिरिक्त कोटा उठाने का हकदार होगा। ऐसा अतिरिक्त कोटा पहले से निर्धारित कोटा, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा;

(iv) प्ररूप अनु0-10ग में अनुज्ञप्ति के लिए फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी,-

जिला	अनुज्ञप्ति फीस
गुरुग्राम	₹30,00,000/-
फरीदाबाद, पंचकूला तथा सोनीपत	₹20,00,000/-
अन्य शेष जिलें	₹10,00,000/-

परन्तु अनु0-10ग अनुज्ञप्ति माईक्रोबुअरी द्वारा निर्मित बीयर की खुदरा बिक्री के लिए दी जाएगी। यह अनुज्ञप्ति अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्तिधारकों को दी जाएगी।

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति फीस के अलावा अनु0-10ग अनुज्ञप्तिधारियों से ₹2,00,000/- की प्रतिभूति राशि ली जाएगी;

(v) प्ररूप अनु0-10ड. में अनुज्ञप्ति के लिए फीस निम्नलिखित प्रकार से होगी:-

क्रम संख्या	जिला	अनुज्ञप्ति फीस
1.	गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला तथा सोनीपत	₹8,00,000 /-
2.	नगर निगम, परिषद, समिति वाले अन्य जिले	₹3,00,000 /-:

परन्तु अल्कोहल की कम मात्रा वाले पेय पदार्थों के उपभोग को बढ़ावा देने के लिए, नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका समिति वाले शहरों में प्ररूप अनु0-10ड. में एक अनुज्ञप्ति खोली जाएगी। औद्योगिक आदर्श नगर क्षेत्र, मानेसर में भी अनु0-10ड. अनुज्ञप्तियों प्रदान की जाएंगी। राज्य में पर्यटन/साहसिक खेल पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए, किसी भी प्रतिष्ठित होटल, रिसॉर्ट और रेस्तरां आदि को अनु0-10ड. के रूप में बार अनुज्ञप्ति प्रदान करने का मामला, जिसमें आधारभूत संरचना और सुविधाएं हैं, लेकिन आबकारी नीति के सम्बन्धित खंडों में वर्णित भौगोलिक प्रतिबन्ध से बाहर स्थित हैं, पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा। ऐसे सभी मामले आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा अपनी सिफारिश सहित सरकार को अनुमोदन के लिए भेजे जाएंगे।

अनु0-10ड. अनुज्ञप्तिधारी तालिका-I में यथा विनिर्दिष्ट उद्ग्रहणों के भुगतान के बाद निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) खरीदेंगे। उक्त दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से कोई भी बार अनुज्ञप्तिधारी से वर्ष 2025-2027 के लिए आबकारी नीति के खण्ड 9.5.14 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक कीमत की मांग नहीं कर सकता है। उक्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या एक से अधिक आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) ब्रांड की आपूर्ति न होने की स्थिति में, चाहे अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से बार अनुज्ञप्तिधारी उनके द्वारा चाही गई आवश्यक सभी ब्रांडों की मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित करते हुए अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त को प्रस्तुत कर सकता है। सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तुरन्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश में तय की गई अवधि के भीतर मांग को पूरा करने के लिए लिखित रूप में निर्देश देगा, लेकिन किसी भी मामले में पन्द्रह दिन से अधिक नहीं। दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या अधिक ब्रांडों की मांग को पूरा करने में विफलता के मामले में उपरोक्त के अनुसार उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि में बार अनुज्ञप्तिधारी राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे ब्रांड की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा, जो तालिका-II के अनुसार मूल्यांकन फीस, परमिट फीस और खुदरा परमिट फीस के भुगतान के अध्यक्ष होगा। बार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनु0-1खच से ऐसी प्रत्येक खरीद में बार अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के साथ-साथ खरीदे जाने वाले सभी ब्रांडों की मात्रा निर्दिष्ट करते हुए एक पूर्व लिखित सूचना उस जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) को दे जहाँ ऐसा अनु0-1खच स्थित है।

#### तालिका-I

अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण		
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

## तालिका-II

अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण			
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस	खुदरा परमिट फीस
विस्की	₹5 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹20 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

पब अनुज्ञप्तिधारी अनु0-4/अनु0-5 अनुज्ञप्ति के समान अतिरिक्त स्थानों, खुली जगह, छत, बालकनी आदि जैसी सुविधाओं के लिए हकदार होगा:

परन्तु अनुज्ञप्ति फीस के अलावा अनु0-10ड. अनुज्ञप्तिधारियों से ₹3,00,000/- की प्रतिभूति राशि ली जाएगी।”;

(vi) प्ररूप अनु0-10च में अनुज्ञप्ति के लिए फीस ₹10,00,000/-:

परन्तु कि अनु0-10च अनुज्ञप्ति उन कॉर्पोरेट कार्यालयों को दिए जाएंगे जिनके पास एक ही परिसर में कम से कम एक लाख वर्ग फुट का कवर क्षेत्र है, जो स्व-स्वामित्व/पट्टे पर होगा और जिसके पास कम से कम 5000 कर्मचारी हों। अनुज्ञप्तिधारी को अपने कर्मचारियों द्वारा परिसर में कम अल्कोहल की मात्रा वाले पेय (अर्थात् आरटीबी, बीयर, वाइन) रखने और उपभोग करने की अनुमति होगी। कैंटीन/भोजनालय का न्यूनतम क्षेत्र, जहाँ ऐसे कॉर्पोरेट कार्यालय में अनु0-10च में अनुज्ञप्ति दिया जाएगा, दो हजार वर्ग फुट से कम नहीं होना चाहिए।

अनु0-10च अनुज्ञप्तिधारी तालिका-I में यथा विनिर्दिष्ट उद्ग्रहणों के भुगतान के बाद निकटतम दो अलग-अलग अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से किसी से आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) खरीदेंगे। उक्त दो अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों में से कोई भी बार अनुज्ञप्तिधारी से वर्ष 2025-2027 के लिए आबकारी नीति के खण्ड 9.5.14 के अनुसार निर्धारित न्यूनतम खुदरा बिक्री मूल्य से 10 प्रतिशत से अधिक कीमत की मांग नहीं कर सकता है। उक्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या एक से अधिक आयातित विदेशी मदिरा (बीआईओ) ब्रांड की आपूर्ति न होने की स्थिति में, चाहे अनुपलब्धता या किसी अन्य कारण से बार अनुज्ञप्तिधारी उनके द्वारा चाही गई आवश्यक सभी ब्रांडों की मात्रा विनिर्दिष्ट करते हुए एक लिखित आवेदन दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को सूचित करते हुए अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त को प्रस्तुत कर सकता है। सम्बन्धित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर तुरन्त दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश में तय की गई अवधि के भीतर मांग को पूरा करने के लिए लिखित रूप में निर्देश देगा, लेकिन किसी भी मामले में पन्द्रह दिन से अधिक नहीं। दोनों अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक या अधिक ब्रांडों की मांग को पूरा करने में विफलता के मामले में उपरोक्त के अनुसार उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि में बार अनुज्ञप्तिधारी राज्य में किसी भी अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे ब्रांड की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा, जो तालिका-II के अनुसार मूल्यांकन फीस, परमिट फीस और खुदरा परमिट फीस के भुगतान के अध्वधीन होगा। बार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनु0-1खच से ऐसी प्रत्येक खरीद में बार अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के साथ-साथ खरीदे जाने वाले सभी ब्रांडों की मात्रा निर्दिष्ट करते हुए एक पूर्व लिखित सूचना उस जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) को दे, जहाँ ऐसा अनु0-1खच स्थित है।

## तालिका-I

अनु0-2खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण		
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

## तालिका-II

अनु0-1खच अनुज्ञप्तिधारियों से आयातित विदेशी मदिरा की खरीद पर बार अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतानयोग्य उद्ग्रहण			
आयातित विदेशी मदिरा का प्रकार	मूल्यांकन फीस	परमिट फीस	खुदरा परमिट फीस
विस्की	₹75 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹20 प्रति बल्क लीटर
वाइन	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹25 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर
बीयर	₹50 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर	₹10 प्रति बल्क लीटर

इसके अलावा, अनुज्ञप्तिशुदा परिसर आम रास्ता नहीं होना चाहिए या जनता द्वारा अक्सर आने-जाने वाले किसी क्षेत्र से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त, अनु0-10च अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ₹3 लाख की प्रतिभूति का भुगतान किया जाएगा। अनु0-10च के माध्यम से निर्मित आयातित विदेशी मदिरा सहित मदिरा के विक्रय पर 18 प्रतिशत की दर से वैट + 5 प्रतिशत की दर से अधिभार प्रभारित किया जाएगा।”।

## 5. उक्त नियमों में, नियम 36-क में,-

## (i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(1) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठेकों का आबंटन तीन प्रकार के जोनों में बांटा जाएगा, जैसे शहरी जोन, ग्रामीण जोन और मिश्रित जोन। ग्रामीण जोन का कमाण्ड क्षेत्र, आबकारी व्यवस्था के अनुसार जोन में ग्रामीण ठेकों/उप ठेकों को स्थापित करने के लिए भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। आबकारी व्यवस्था के भाग के रूप में ऐसे कमाण्ड क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) सक्षम प्राधिकारी होगा। इसी तरह, मिश्रित जोन के मामले में, केवल ग्रामीण ठेका/उप ठेकों को स्थापित करने के लिए कमाण्ड क्षेत्र आबकारी व्यवस्था में निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र विनिर्दिष्ट किया जाएगा। आबकारी व्यवस्था में शहरी क्षेत्रों में ठेकों का स्थान निर्धारित किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अनुज्ञप्तिधारी को आबकारी नीति/नियमों के अन्य उपबन्धों तथा उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के अनुमोदन के अध्वधीन जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर किसी भी स्थान पर अपने ठेके लगाने की स्वतंत्रता होगी। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, आबकारी आयुक्त (वित्तायुक्त) एक स्पष्ट आदेश पारित करने के बाद किसी भी शहरी ठेके के स्थान को बदल सकता है। इसी प्रकार, किसी ग्रामीण ठेके या उप ठेके के मामले में आबकारी आयुक्त (वित्तायुक्त), असाधारण परिस्थितियों में, जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर ऐसे ठेके/उप ठेके के स्थान को स्थानांतरित करने का निर्देश दे सकता है।

अनुज्ञप्तिधारी, जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा स्थल योजना के पूर्वानुमोदन से ठेका (ठेके) और उप-ठेका (उप-ठेके) खोलने की अपनी व्यवस्था स्वयं करेगा। जिले में स्थित सभी अनु0-2/अनु0-14क ठेकों, उप ठेकों और शराबखाने की अवस्थिति संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा मैपड/जियो-टैगड की जाएगी और विभाग के वेब पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

खुदरा अनुज्ञप्तियां (अनु0-2 और अनु0-14क) 12 जून, 2025 से 31 मार्च, 2027 तक की अवधि के लिए आवंटित किए जाएंगे, जिसे आगे नीति वर्ष 2025-27 के रूप में निर्दिष्ट किया जाएगा। नीति वर्ष 2025-2027 को सात तिमाहियों में विभाजित किया जाएगा, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

तिमाही	अवधि	
प्रथम	12 जून, 2025 से 30 सितम्बर, 2025	12 जून, 2025 से 30 जून, 2025 प्रथम जुलाई, 2025 से 31 जुलाई, 2025 प्रथम अगस्त, 2025 से 31 अगस्त, 2025 प्रथम सितम्बर, 2025 से 30 सितम्बर, 2025
द्वितीय	प्रथम अक्टूबर, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025	प्रथम अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 प्रथम नवम्बर, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 प्रथम दिसम्बर, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025

तृतीय	प्रथम जनवरी, 2026 से 31 मार्च, 2026	प्रथम जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 प्रथम फरवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 प्रथम मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026
चतुर्थ	प्रथम अप्रैल, 2026 से 30 जून, 2026	प्रथम अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 प्रथम मई, 2026 से 31 मई, 2026 प्रथम जून, 2026 से 30 जून, 2026
पंचम	प्रथम जुलाई, 2026 से 30 सितम्बर, 2026	प्रथम जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 प्रथम अगस्त, 2026 से 31 अगस्त, 2026 प्रथम सितम्बर, 2026 से 30 सितम्बर, 2026
षष्ठ	प्रथम अक्टूबर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026	प्रथम अक्टूबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 प्रथम नवम्बर, 2026 से 30 नवम्बर, 2026 प्रथम दिसम्बर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026
सप्तम	प्रथम जनवरी, 2027 से 31 मार्च, 2027	प्रथम जनवरी, 2027 से 31 जनवरी, 2027 प्रथम फरवरी, 2027 से 28 फरवरी, 2027 प्रथम मार्च, 2027 से 31 मार्च, 2027

प्रथम तिमाही को छोड़कर, प्रत्येक तिमाही को आगे तीन मासों में विभाजित किया जाएगा। जून, 2025 को छोड़कर, प्रत्येक आबकारी मास कैलेंडर मास के प्रथम दिन से शुरू होगा और कैलेंडर मास के अन्तिम दिन को समाप्त होगा:

परन्तु यदि किसी भी कारण से किसी भी मामले में, मुख्य ग्रामीण ठेके को बन्द करना पड़ता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उस ठेके को उस जोन के कमाण्ड क्षेत्र में उस जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्व स्वीकृति के साथ स्थानान्तरित करेगा।

जोन की इकाइयों में देशी शराब और भारत में निर्मित विदेशी शराब की खुदरा दुकानों का आबंटन किया जाएगा। प्रत्येक जोन में अधिकतम दो ठेके शामिल होंगे, जो आबकारी व्यवस्था में प्रदर्शित किए जाएंगे। जोनों को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा:—

- शहरी क्षेत्रों में 02 खुदरा ठेके हैं, जो शहरी क्षेत्रों में पूर्वनियत अवस्थानों पर हैं;
- ग्रामीण क्षेत्रों में 02 खुदरा ठेके हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं, तथा अनुज्ञप्तिधारी को अपने कमाण्ड क्षेत्र में कहीं भी इन ठेकों का स्थान निश्चित करने की छूट है;
- 02 खुदरा ठेकों तक के मिश्रित क्षेत्र, जिनमें शहरी क्षेत्रों में पहले से निश्चित स्थानों के साथ ऐसी संख्या में ठेके हैं, जैसा कि आबकारी व्यवस्था में नियत किया गया है और ग्रामीण क्षेत्र में एक शेष ठेका, यदि कोई हो, (अनुज्ञप्तिधारी को उसके कमाण्ड क्षेत्र में कहीं भी ऐसे ठेके का स्थान तय करने की छूट है) जो ऐसे क्षेत्र के शहरी ठेके के स्थान के निकट हो।

आबंटन की प्रक्रिया, सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी), उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) सदस्य के रूप में तथा उपायुक्त की अध्यक्षता वाली समिति, भागीदारों की उपस्थिति में, जो विभाग द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाली ई-निविदाओं के मूल्यांकन की तिथि पर उपस्थित होने के इच्छुक हो, संचालित की जाएगी। ठेकों के जोन का आबंटन ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए किया जाएगा।

आबकारी व्यवस्था तैयार होने के उपरान्त, इसे जिले के उपायुक्त के कार्यालय, जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय, जिला के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (बिक्री कर) के कार्यालय के साथ-साथ संबंधित संयुक्त आबकारी तथा कराधान आयुक्त (रेंज) के कार्यालय में तथा विभागीय वेबसाइट [www.haryanatax.gov.in](http://www.haryanatax.gov.in) पर मुख्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा तथा संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा आबकारी व्यवस्था के प्रदर्शित करने के पश्चात् दो दिन के लिए सार्वजनिक/हितधारकों से आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी और इन आपत्तियों, यदि कोई हों, को दो दिन के भीतर विनिश्चित किया जाएगा। सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) का निर्णय अन्तिम होगा:

परन्तु नीति वर्ष के प्रारम्भ में ठेकों के गैर-आबंटित जोन का आबंटन, नीति वर्ष के प्रारम्भ होने के बाद भी उसी प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनः ई-बोली आमंत्रित करके किया जाएगा। निविदाओं को आमन्त्रित करने की प्रक्रिया को निम्नलिखित रीति में आरक्षित मूल्य कम करके जारी रखा जाएगा:—

- (i) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड रुपये या कम है, तो मूल आरक्षित मूल्य के अधिकतम 5 प्रतिशत की स्लैब में;
- (ii) यदि जोन की आरक्षित कीमत 5.00 करोड रुपये से अधिक है, तो मूल आरक्षित मूल्य के अधिकतम 3 प्रतिशत तक की स्लैब में;

जब तक ये आबंटित नहीं हो जाते हैं या 4 जुलाई, 2025 तक या अगले कार्यदिवस को, यदि 4 जुलाई, 2025 को छुट्टी होती है, जो भी पहले हो। ऐसे मामले में जोन का कोटा कम किया जाएगा। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (वित्तायुक्त) कोटा निर्धारित करने में अन्तिम प्राधिकारी होगा। तथापि, जोन के आबंटन से पूर्व कोटा में न्यूनतम कमी व्यतीत दिनों की संख्या के अनुरूप होगी:

परन्तु यह और कि अनुज्ञप्ति के रद्दकरण की दशा में, पुनः आबंटन की प्रक्रिया तुरन्त विज्ञापन के माध्यम से ई-निविदाएं आमन्त्रित करते हुए प्रारम्भ की जाएगी। पुनः आबंटन के लिए आरक्षित मूल्य शेष अवधि, जिसके लिए ठेकों का जोन मूल अनुज्ञप्ति फीस का उपयोग करते हुए पुनः आबंटित किया जाना है, के लिए अनुपातिक रूप में संगणित किया जाएगा। यदि कोई भी ई-निविदा प्राप्त नहीं हुई, तो आरक्षित मूल्य, उपर वर्णित मूल आरक्षित कीमत का अधिकतम दस प्रतिशत तक कम किया जाएगा, जैसा कि आबकारी तथा कराधान आयुक्त इस प्रयोजन के लिए उचित समझें और आमन्त्रित ई-निविदा की प्रक्रिया पुनः दोहराई जाएगी जब तक ठेकों के जोन का पुनः आबंटन नहीं हो जाता है। यह पुनः आबंटन मूल अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम और लागत पर किया जाएगा। इसके परिणामस्वरूप राज्य द्वारा की गई किसी भी कमी को पूरा करने के लिए मूल अनुज्ञप्तिधारी/आबंटिती दायी होगा। तथापि, यदि मूल बोली से अधिक बोली प्राप्त होती है, तो मूल आबंटिती को कोई लाभ नहीं दिया जाएगा।

- (ii) उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5) बोलीदाता को किसी भी जोन में प्रत्येक बोली के लिए ₹2,50,000/- की भागीदारी फीस जमा करानी होगी। भागीदारी फीस वापसी-योग्य तथा समायोजनयोग्य नहीं है। भागीदारी फीस उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के पक्ष में या तो नकदी में या डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा उसकी रजिस्ट्रेशन के जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय में जमा की जाएगी। नकद के मामले में, उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय द्वारा एक विधिवत् हस्ताक्षरित रसीद जारी की जाएगी।”;

- (iii) उप-नियम (17) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(17) अनुज्ञप्तिधारी जिसको देशी मदिरा (अनु0-14क) या भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-2) का खुदरा मदिरा दुकान आबंटित की जाती है, तो राज्य में प्रत्येक जिला में स्थित देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक दुकान तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक दुकान से तिमाही आधार पर देशी मदिरा या भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण वार्षिक कोटा उठाने के लिए बाध्य होगा। कोटा को उठाने का अर्थ होगा देशी मदिरा (अनु0-13) के अनुज्ञप्त थोक बाजार तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा (अनु0-1) के अनुज्ञप्त थोक दुकान से मदिरा का भौतिक रूप से उठाना। आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के लिए देसी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का अधिकतम मूल कोटा क्रमशः 2300 लाख प्रूफ लीटर और 1375 लाख प्रूफ लीटर होगा। देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा का सम्पूर्ण कोटा उठाना अनुज्ञप्तिधारी के लिए नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार बाध्यकर होगा:-

तिमाही	मास	कोटा प्रतिशत में		
		मास-वार कोटा	तिमाही-वार कोटा	तिमाही-वार संचित कोटा
प्रथम	12 जून, 2025 से 30 जून, 2025 प्रथम जुलाई, 2025 से 31 जुलाई, 2025 प्रथम अगस्त, 2025 से 31 अगस्त, 2025 प्रथम सितम्बर, 2025 से 30 सितम्बर, 2025	3 प्रतिशत 4 प्रतिशत 4 प्रतिशत 4 प्रतिशत	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत
द्वितीय	प्रथम अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025 प्रथम नवम्बर, 2025 से 30 नवम्बर, 2025 प्रथम दिसम्बर, 2025 से 31 दिसम्बर, 2025	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	15 प्रतिशत	30 प्रतिशत



तृतीय	प्रथम जनवरी, 2026 से 31 जनवरी, 2026 प्रथम फरवरी, 2026 से 28 फरवरी, 2026 प्रथम मार्च, 2026 से 31 मार्च, 2026	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	15 प्रतिशत	45 प्रतिशत
चतुर्थ	प्रथम अप्रैल, 2026 से 30 अप्रैल, 2026 प्रथम मई, 2026 से 31 मई, 2026 प्रथम जून, 2026 से 30 जून, 2026	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	15 प्रतिशत	60 प्रतिशत
पंचम	प्रथम जुलाई, 2026 से 31 जुलाई, 2026 प्रथम अगस्त, 2026 से 31 अगस्त, 2026 प्रथम सितम्बर, 2026 से 30 सितम्बर, 2026	5 प्रतिशत 4 प्रतिशत 5 प्रतिशत	14 प्रतिशत	74 प्रतिशत
षष्ठ	प्रथम अक्टूबर, 2026 से 31 अक्टूबर, 2026 प्रथम नवम्बर, 2026 से 30 नवम्बर, 2026 प्रथम दिसम्बर, 2026 से 31 दिसम्बर, 2026	5 प्रतिशत 5 प्रतिशत 5 प्रतिशत	15 प्रतिशत	89 प्रतिशत
सप्तम	प्रथम जनवरी, 2027 से 31 जनवरी, 2027 प्रथम फरवरी, 2027 से 28 फरवरी, 2027 प्रथम मार्च, 2027 से 31 मार्च, 2027	4 प्रतिशत 4 प्रतिशत 3 प्रतिशत	11 प्रतिशत	100 प्रतिशत

अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त वर्णित सूची के अनुसार उसे आबंटित कोटा का 100 प्रतिशत कोटा उठाना होगा। निर्धारित त्रैमासिक कोटा उठाने में असफल होने पर अल्प कोटा शास्ति लगेगी। इसके अलावा, अनुज्ञप्तिधारी को पिछली तिमाही का नहीं उठाया गया कोटा अगली तिमाही में उठाना होगा।

तिमाही कोटे को उठाने के सम्बन्ध में उपबन्ध के अननुपालन में देशी मदिरा तथा भारत में बनी विदेशी मदिरा की अपूर्ण मात्रा के लिए क्रमशः 150/-रुपये तथा 200/-रुपये प्रति प्रूफ लीटर की दर से शास्ति लगाई जाएगी।

अनुज्ञप्तिधारी को सम्बन्धित तिमाही के अन्तिम दिन से तीस दिन के भीतर कम कोटा उठाने का जुर्माना अदा करना होगा, जिसमें चूक की गई है। ऊपर निर्धारित तिथि तक कम कोटा जुर्माना अदा न करने की तिथि में, अनुज्ञप्तिधारी जुर्माना राशि का भुगतान होने तक परमिट और पास प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।”;

(iv) उप-नियम (19) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(19) कोई भी व्यक्ति, जिसको खुदरा मदिरा बाजार के लिए अनुज्ञप्ति दी गई है, ऐसे परिसरों में उसे स्थापित नहीं करेगा, जो मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डे तथा पूजा के स्थल के मुख्य दरवाजे से कम से कम 150 मीटर की दूरी पर स्थित हो, बशर्ते कि शहरी खुदरा शराब की दुकानों के मामले में, आबकारी आयुक्त संबंधित उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की सिफारिश पर 150 मीटर से 75 मीटर के लिए खुदरा मदिरा बाजार की अवस्थिति के लिए ऐसी दूरी में छूट दे सकता है। इसके अतिरिक्त, शहरी क्षेत्रों में, खुदरा मदिरा बाजार स्थानों में अवस्थित होंगे। तथापि, यह उपबन्ध ऐसे मामले में लागू नहीं होगा जहां नया मान्यताप्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय/मुख्य बस अड्डा या पूजा का स्थल आबकारी नीति वर्ष 2025-27 में ठेके की स्थापना के पश्चात्पूर्वी वर्ष के चालू रहने के दौरान 150 मीटर की दूरी में आते हैं। किसी भी ठेका/उप-ठेका की सामने की चौड़ाई 25 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो पहुंच सड़क की ओर हो।”;

(v) उप-नियम (25) से (27) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“(25) खुदरा ठेकों के जोन के प्रत्येक सफल आबंटिती के लिए जोन के ठेकों की आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के अनुज्ञप्ति फीस के 11 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि जमा करानी अपेक्षित होगी, जिसमें से अनुज्ञप्ति फीस का 2 प्रतिशत ई-बोली के मुल्यांकन के दिन को; अनुज्ञप्ति फीस का 3 प्रतिशत आबंटन के दिन

के सात दिन के भीतर या 11 जून, 2025 को या से पूर्व, जो भी पहले हो, जमा करवाई जाएगी; तथा अनुज्ञप्ति फीस के 6 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति 18 जून, 2025 तक जमा कराई जाएगी।

बोली जो आरक्षित कीमत से 25 प्रतिशत से अधिक होने की दशा में, बोलीदाता को जमा प्रतिभूति राशि स्लैब के अनुसार, जो राशि लागू है, के अलावा अपनी बोली राशि के 11 प्रतिशत के बराबर राशि जमा करनी होगी। सफल बोलीदाता के मामले में, उसकी बोली का 11 प्रतिशत सिस्टम द्वारा काट लिया जाएगा और 11 प्रतिशत प्रतिभूति के रूप में जमा किया जाएगा। उसकी बोली की धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस का इकानवें (91) प्रतिशत मासिक किस्तों में उस द्वारा भुगतानयोग्य होगा; जून, 2025 के महीने को छोड़कर, प्रत्येक किस्त जुलाई, 2025 के महीने से शुरू होने वाले प्रत्येक कैलेंडर मास की 20 तिथि तक और उसके बाद के प्रत्येक महीने तक देय होगी। जून, 2025 के महीने के लिए अनुज्ञप्ति फीस की किस्त 30 जून, 2025 तक भुगतानयोग्य होगी। भुगतान मासिक किस्तों के रूप में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा 91 प्रतिशत की सम्पूर्ण राशि के भुगतान करने तक निरन्तर जारी रहेगा। उसके बोली धन/अनुज्ञप्ति फीस के 9 प्रतिशत के बराबर उसकी प्रतिभूति का भाग, उसके बोली धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस के 91 प्रतिशत तक की राशि की किस्तों के भुगतान के बाद उसकी अनुज्ञप्ति फीस की ओर अन्त में समायोजित की जाएगी। समायोजन उसकी बोली की धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस के 4.5 प्रतिशत की प्रत्येक दो बराबर किस्तों में दो मास की अवधि में किया जाएगा।

(26) अनुज्ञप्तिधारी की बोली धनराशि/अनुज्ञप्ति फीस के 2 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति अप्रैल, 2027 के अन्त तक उसकी ओर बकाया या असंदत्त पाई गई किसी राशि का समायोजन करने के बाद वापस की जाएगी। यह राशि जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा वापस की जाएगी। किसी भी प्रकार का कोई ब्याज प्रतिभूति राशि पर भुगतानयोग्य नहीं होगा। किस्तों की अनुसूची निम्नलिखित प्रकार से होगी:-

मास	किस्तें (प्रतिशत अनुज्ञप्ति फीस के संदर्भ में)
जून, 2025	3
जुलाई, 2025	4
अगस्त, 2025	4
सितम्बर, 2025	4
अक्टूबर, 2025	5
नवम्बर, 2025	5
दिसम्बर, 2025	5
जनवरी, 2026	5
फरवरी, 2026	5
मार्च, 2026	5
अप्रैल, 2026	5
मई, 2026	5
जून, 2025	5
जुलाई, 2026	5
अगस्त, 2026	4
सितम्बर, 2026	5
अक्टूबर, 2026	5
नवम्बर, 2026	5
दिसम्बर, 2026	5
जनवरी, 2027	2

यदि आबंटिती/अनुज्ञप्तिधारी विहित समय में प्रतिभूति का सम्पूर्ण भुगतान करने में असफल रहता है, तो उसकी अनुज्ञप्ति स्वतः रद्द हो जाएगी तथा जमा प्रतिभूति, यदि कोई हो, जब्त हो जाएगी।

यदि बीस किस्तों में से किसी भी किस्त के भुगतान के लिए निर्धारित समय का पालन नहीं करने की दशा में, विलम्ब भुगतान पर ब्याज भुगतानयोग्य होगा। यदि किसी मास की किस्त (या उसके भाग) का भुगतान उस कैलेंडर मास के अंतिम दिन तक किया जाता है जिसमें किस्त देय है, तो देरी से भुगतान की राशि पर चूक के दिनों के लिए 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा। तथापि, यदि किस्त देय कैलेंडर मास के अन्तिम दिन से आगे भी चूक जारी रहती है, तो किस्त देय कैलेंडर मास के पहले दिन से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज लिया जाएगा।

यदि किसी भी क्षेत्र का कोई ठेका या ठेके बन्द किए जाते हैं या बाद में कोविड कंटेनमेंट जोन में आने के कारण से बन्द कर दिया जाता है, तो इसकी अनुज्ञप्ति फीस और कोटा को बन्द होने के दिन के अनुपात में माफ कर दिया जाएगा। बन्द किए गए ठेके की अनुपातिक अनुज्ञप्ति फीस और कोटा की गणना जो माफ की जानी है, करने के प्रयोजन हेतु, जोन की अनुज्ञप्ति फीस और कोटा को जोन के सभी मुख्य ठेकों के बीच बराबर रूप से विभाजित किया जाएगा।

(27) जोनों के ठेकों की दशा में, जो चालू आबकारी वर्ष के दौरान आबंटित/पुनः आबंटित किए गए हैं, बोली राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति आबंटन के दिन जमा की जाएगी तथा बोली राशि के 6 प्रतिशत के बराबर शेष प्रतिभूति आबंटन की तिथि से दस दिन के भीतर जमा की जाएगी। ठेकों का जोन आबंटन/पुनः आबंटन की आगामी तिथि से प्रचालन में आएगा। मास, जिसमें आबंटन/पुनः आबंटन किया गया है, के लिए अनुज्ञप्ति फीस, उस मास के शेष दिनों के अनुपात में, मास की समाप्ति तक भुगतानयोग्य होगी। अनुज्ञप्ति फीस के 91 प्रतिशत में से शेष राशि बराबर मासिक किस्तों में 20 जनवरी, 2027 तक भुगतानयोग्य होगी। उसके बाद आबकारी नीति 2025-2027 के पैरा 6.4 में वर्णित के अनुसार उसकी प्रतिभूति अन्य आबंटनों के मामले में समायोजित की जाएगी।

यदि आबंटन या पुनः आबंटन दिसम्बर, 2026 के बाद किया जाता है, तो आबकारी तथा कराधान आयुक्त (वित्तायुक्त) अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान और कोटा उठाने के समय सारणी ऐसी रीति में तय करेंगे जैसा वह उचित समझे।

आबंटन/पुनः आबंटन मास के भुगतान की तिथि मास के अन्तिम दिवस को होगी।”।

(vi) उक्त नियमों में, नियम 36-क में, उप-नियम (27) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-

“(28) सफल बोलीदाता को आबंटन के दिन बोली राशि का 2 प्रतिशत प्रतिभूति के पहले हिस्से के रूप में जमा करना होगा। यदि वह उक्त तिथि पर बोली राशि का 2 प्रतिशत जमा करने में विफल रहता है, तो बोली रद्द कर दी जाएगी और उसके द्वारा जमा की गई ब्याना राशि जब्त कर ली जाएगी। ऐसे बोलीदाता को पाँच साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा, ऐसे जोन के ठेकों का आबंटन ई-बोली द्वारा नए सिरे से किया जाएगा, जैसा कि गैर-आबंटित जोन के ठेकों के मामले में होता है। बोलीदाता को उस समय जोन का आबंटि माना जाएगा जब वह बोली राशि का 2 प्रतिशत बोली खुलने की तिथि पर या उसके तुरन्त बाद जमा कर देगा।”।

6. उक्त नियमों में, नियम 37 में,-

(क) उप-नियम (8) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(8) कोई भी अनुज्ञप्तिधारी किसी भी समय लाउडस्पीकर, सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से शराब की बिक्री की घोषणा करके उसका विज्ञापन नहीं दे सकता है। शराब की उपलब्धता के सभी संकेत और विज्ञापन प्रतिबन्धित रहेंगे। इसके अलावा जोन के भीतर किसी भी तरह के संकेत या विज्ञापन की अनुमति नहीं होगी। ऐसे किसी भी उल्लंघन की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिधारी की होगी, जो जोन के भीतर ऐसा कोई उल्लंघन पाए जाने पर जवाबदेह होगा।

खुदरा अनुज्ञप्तिधारी दुकान के अन्दर और आस-पास सफाई और स्वच्छता बनाए रखेंगे। ठेके और शराबखाने के अन्दर और बाहर पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान रखे जाएंगे। रात के समय रोशनी की समुचित व्यवस्था की जाएगी।

इसके अलावा, प्रत्येक ठेका/उप ठेका पर एक मुख्य सूचना पट्ट भी लगाया जाएगा जिसमें निम्नलिखित विवरण होंगे:-

**“शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है” और “सुरक्षित रहें-शराब पीकर वाहन न चलाएं”**

अन्य सभी वैधानिक मानदण्डों और अनुदेशों की अनुपालना के अध्यक्षीन खुदरा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ठेका स्थल तथा उप ठेका स्थल के सामने उपयुक्त आकार के बोर्ड पर हिन्दी और अंग्रेजी में निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित किए जाएंगे:-

आबकारी वर्ष	
अनुज्ञप्ति का नाम	
अनुज्ञप्ति का सम्पन्न सूत्र	
जोन नम्बर तथा अनुज्ञप्ति संख्या	
ठेके का प्रकार (ठेका/उप-ठेका)	

उप-ठेके की क्रम संख्या, जैसा कि उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा आबंटित किया गया हो, यदि लागू है	
गाँव, जिला	
आबकारी निरीक्षक का सम्पर्क सूत्र	
उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) के कार्यालय का सम्पर्क सूत्र	
ठेका खुलने तथा बन्द होने का समय	

उपरोक्त अनिवार्य साइन बोर्ड/डिस्प्ले का फॉन्ट आकार ऐसा होगा जैसा कि आबकारी नीति 2025-2027 के प्रारम्भ में आबकारी और कराधान आयुक्त द्वारा तय किया जाएगा।

अनुज्ञप्तिधारी विभिन्न ब्राण्डों के बिक्री मूल्य भी प्रदर्शित करेगा। इस उपबन्ध के किसी भी उल्लंघन के मामले में, पहले अपराध के लिए प्रत्येक विज्ञापन के लिए 1,00,000/-रुपये का जुर्माना, दूसरे अपराध के लिए प्रति विज्ञापन 2,00,000/-रुपये का जुर्माना तथा तीसरे अपराध के लिए प्रति विज्ञापन 3,00,000/-रुपये का जुर्माना सम्बन्धित अनुज्ञप्तिधारी पर लगाया जाएगा, जिसके परिसर में ऐसा विज्ञापन रखा गया है या अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जिले में किसी भी स्थान पर ऐसा कोई अन्य विज्ञापन रखा गया है। किसी भी पश्चात्वर्ती उल्लंघन को वर्ष 2025-2027 के लिए आबकारी नीति के खण्ड 2.13.5 के अधीन कार्यवाही को आमंत्रित करते हुए बड़ा उल्लंघन माना जाएगा।

किसी भी अनुज्ञप्तिधारी को दिए गए अनुज्ञप्ति की शर्तों और नियमों का कोई बड़ा उल्लंघन होने पर, यदि आवश्यक समझा जाए, तो कलक्टर (आबकारी) द्वारा उसका ठेका/शराब के ठेके को सील/डी-सील किया जाएगा, जिसकी सूचना आबकारी तथा कराधान आयुक्त को दी जाएगी। ऐसी सीलिंग विधि के अधीन उसके विरुद्ध लगाए जाने वाले किसी भी अन्य दण्ड या की जाने वाली कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

उपरोक्त उपबन्ध के अधीन अनुज्ञप्तिधारी को उसका ठेका/शराब प्रतिष्ठान को सील करने के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

आगे, बार अनुज्ञप्ति वाले सभी होटल/पब/बार/रेस्तरां/कैफे प्रवेश द्वार पर तथा बार परिसर में भी "मादक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों का सेवन और तस्करी कानून में निषिद्ध है और कठोर कारावास और जुर्माने से दण्डनीय है" के बारे जागरूकता के लिए प्रदर्शन बोर्ड लगाएंगे। बार अनुज्ञप्तिधारी "सुरक्षित रहें-शराब पीकर गाड़ी न चलाएं" और "शराब का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है" के सम्बन्ध में जागरूकता के लिए प्रदर्शन बोर्ड भी लगाएंगे।

(ख) उप नियम (11) में, (i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(क) प्ररूप अनु0-2, अनु0-10, अनु0-10क, अनु0-14 तथा अनु0-14क में अनुज्ञप्ति:-

#### ग्रामीण क्षेत्रों में

बिक्री समय प्रातः काल 08:00 बजे से 11.00 बजे (रात्रि) तक अप्रैल से अक्टूबर तक और प्रातः काल 08:00 बजे से 10.00 बजे (रात्रि) तक नवम्बर से मार्च तक

#### शहरी क्षेत्रों में

प्रातः काल 08:00 बजे से 12.00 बजे (मध्य-रात्रि) तक वर्ष भर:

कोई भी शहरी ठेका, जो निर्धारित समय से आगे चलाया जाना है, उसे निम्नलिखित अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर अनुमति दी जा सकती है:-

विस्तार	अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस
4 घण्टे तक	आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के लिए ऐसे ठेके की अनुज्ञप्ति फीस का 25 प्रतिशत:

परन्तु यदि कोरोना वायरस के कारण प्रकोप के मामले में, सभी आबकारी अनुज्ञप्तिधारी भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, द्वारा घोषित, राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, हरियाणा और किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी को समय-समय पर, कोविड-19 को रोकने के लिए शराब की दुकानों/प्रतिष्ठानों आदि को खोलने और बन्द करने के लिए काम के घण्टे/समय अनुसूची के सम्बन्ध में दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और अनुज्ञप्तिधारियों को काम के घण्टों में कमी किए जाने पर अनुज्ञप्ति फीस, कोटा इत्यादि में किसी भी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।";

(ii) खण्ड (ड.) में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परन्तुक यह और कि राज्य में प्ररूप अनु0-4/अनु0-5/अनु0-10ड./ अनु0-12ग/अनु0-12गग आदि में बार अनुज्ञप्तियों के मामले में कार्य समय 12 बजे दोपहर पूर्व (मध्यरात्रि) तक होगा। फरीदाबाद,

गुरुग्राम, पंचकुला, और सोनीपत जिलों में इन बार अनुज्ञप्तियों का समय नीचे दी तालिका के अनुसार समय को 12.00 बजे से आगे भी बढ़ाया जा सकता:-

गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में समय का विस्तार	12 जून, 2025 से 31 मार्च, 2026	01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027
12.00 बजे (मध्य रात्रि) से 2.00 बजे तक	₹20,00,000 /—	₹25,00,000 /—
2.00 बजे के बाद प्रत्येक अतिरिक्त घण्टे के लिए	₹7,50,000 /—	₹10,00,000 /—

पंचकुला और सोनीपत जिलों में समय का विस्तार	12 जून, 2025 से 31 मार्च, 2026	01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027
12.00 बजे (मध्य रात्रि) से 2.00 बजे तक	₹7,00,000 /—	₹9,00,000 /—
3.00 बजे तक अतिरिक्त घण्टे के लिए	₹5,00,000 /—	₹6,00,000 /—

परन्तु यह और कि 4 सितारा श्रेणी और उससे उपर की श्रेणी के होटलों के मामले में, प्रत्येक अनुमति अतिरिक्त बिन्दु समय को ₹45,00,000 /— की अतिरिक्त फीस के भुगतान पर 12.00 बजे (मध्यरात्रि) से 2.00 बजे तक बढ़ाया जा सकता है।

(ग) उप-नियम (32) में, खण्ड (iv) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(iv) देशी मदिरा के लिए ₹8.00 /— प्रति प्रूफ लीटर, भारत में निर्मित विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹14.00 /— प्रति प्रूफ लीटर, बीयर के लिए ₹12.00 प्रति बल्क लीटर तथा सभी प्रकार की आयातित विदेशी मदिरा(बीआईओ) के लिए ₹14.00 प्रति बल्क लीटर की दर से स्टॉक अन्तरण फीस उदगृहीत की जाएगी:

परन्तु कलक्टर (आबकारी) के अनुमोदन के बाद, मौजूदा अनुज्ञप्तिधारी को केवल थोक अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति में, पिछले वर्ष के अनुज्ञप्तिधारी के बचे हुए स्टॉक को अंतर-जिला हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक अन्तरण फीस देशी मदिरा के लिए ₹10.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के लिए ₹16.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹13.00 प्रति बल्क लीटर तथा सभी प्रकार की आयातित विदेशी मदिरा(बीआईओ) के लिए ₹16.00 प्रति बल्क लीटर होगी :

परन्तु यह और कि चालू वर्ष के दौरान थोक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा छोड़े हुए स्टॉक को कलक्टर (आबकारी) द्वारा उसी जिले के अन्य अनुज्ञप्तिधारी या दूसरे जिले के अनुज्ञप्तिधारी को भी अन्तरण करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे मामलों में स्टॉक ट्रांसफर फीस देशी मदिरा के लिए ₹10.00 प्रति प्रूफ लीटर, भारत में बनी विदेशी मदिरा के सभी ब्रांडों के लिए ₹16.00 प्रति प्रूफ लीटर तथा बीयर के लिए ₹13.00 प्रति बल्क लीटर तथा सभी प्रकार की आयातित विदेशी मदिरा(बीआईओ) के लिए ₹16.00 प्रति बल्क लीटर होगी ।

टिप्पण:- जहाँ आबकारी नीति वर्ष 2025-2027 के लिए आबकारी नीति में किसी भी प्रकार की मदिरा के आबकारी शुल्क/मूल्यांकन फीस की दर में वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2024-2025 के लिए आबकारी शुल्क की दर से अधिक है, दिनांक 12 जून, 2025 को बचे हुए स्टॉक पर अन्तर आबकारी शुल्क स्टॉक ट्रांसफर फीस के अतिरिक्त, यदि कोई हो, भुगतानयोग्य होगी। इसके अलावा, यदि वर्ष 2024-2025 में शराब के किसी भी स्टॉक पर भुगतान किया गया आबकारी शुल्क/मूल्यांकन फीस 2025-2027 में ऐसे स्टॉक पर देय आबकारी शुल्क/मूल्यांकन फीस से अधिक है, तो किसी समायोजन/प्रतिदाय की अनुमति नहीं दी जाएगी।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 38 में, उप-नियम (16क) में,-

(i) खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(क) ग्रामीण क्षेत्रों में किन्हीं दो मुख्य ठेकों के बीच या किन्हीं दो उप-ठेकों के बीच या किसी मुख्य ठेका और दो अलग-अलग अनुज्ञप्तिधारियों के उप ठेकों के बीच न्यूनतम 2.0 किलोमीटर की दूरी बनाई रखनी होगी। मुख्य ठेका और उप-ठेका के बीच विवाद की स्थिति में, मुख्य ठेका को प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य मामलों में, समय से पहले स्थापित किए गए मुख्य ठेका/उप ठेका को प्राथमिकता दी जाएगी। किसी जोन के ग्रामीण ठेके/उप-ठेके को दूसरे अनुज्ञप्तिधारी से सम्बन्धित किसी भी शहरी ठेके से 2.00 किलोमीटर की न्यूनतम दूरी बनाए रखनी होगी:

परन्तु उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) विवादों को सुलझाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और अपने जिले के भीतर स्थित जोनों के लिए उपरोक्त उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। कलक्टर (आबकारी) विवादों को सुलझाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे और विभिन्न जिलों के अन्तर्गत आने वाले जोनों के लिए उपरोक्त उपबन्धों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

उप-टेका विधि के अन्य सभी उपबन्धों के अध्यक्ष भी होगा। टेका/उप-टेके को अधिमानतः 'फिरनी' के बाहर स्थापित करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी टेका या उप टेका किसी भी घर के मुख्य द्वार से 100 मीटर की कम की दूरी पर स्थित नहीं हो सकता, सिवाय इसके जब अनुज्ञप्तिधारी ने प्रत्येक घर में रहने वाले सभी परिवारों के मुखिया द्वारा जिनका मुख्य द्वार इस 100 मीटर की दूरी के भीतर है, द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित लिखित अनापत्ति प्रमाण पत्र अधिकारिता वाले उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त को सौंप दी हो। टेकों के स्थान के सम्बन्ध में सभी प्रावधान उप-टेकों पर भी लागू होंगे;";

(ii) खण्ड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(छ) (क) उप-टेका खोलने के लिए, अनुज्ञप्तिधारी को प्ररूप अनु0-14क, अनु0-2/एस0वी0 में अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी होगी। उप-टेका सम्बन्धित जिले के उप आबकारी तथा कराधान आयुक्त (आबकारी) की पूर्व अनुमति के अध्यक्षीन जोन के कमाण्ड क्षेत्र के भीतर खोलने की अनुमति दी जाएगी। प्रत्येक उप-टेके की फीस निम्नलिखित होगी:-

ग्राम की जनसंख्या	वर्ष 2025-2027 के लिए प्रति उप-टेके की अनुज्ञप्ति फीस (रूपए में)
500-1000 तक	3.00 लाख
1001-10000	6.00 लाख
10001 तथा से अधिक	9.00 लाख

ग्रामीण क्षेत्रों में उप-टेकों के लिए, प्रावधान नीचे वर्णित पैरा (ख), (ग) तथा (घ) के अनुसार लागू होंगे,-

- (ख) यदि किसी गाँव की आबादी 500 या उससे कम है, तो वहाँ किसी उप-टेके की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (ग) यदि किसी गाँव की आबादी 500 से अधिक और 5000 तक है, तो वहाँ किसी उप-टेके की अनुमति दी जाएगी।
- (ग) यदि ऐसे गाँव की जनसंख्या 5000 से अधिक है, तो वहाँ एक गाँव में दो उप-टेकों की अनुमति होगी।

टिप्पण:- इस उपबन्ध के प्रयोजन के लिए, “गाँव की जनसंख्या” से अभिप्राय है, दिनांक 15 मई, 2025 को हरियाणा परिवार पहचान अधिनियम, 2021 (2021 का 20) के अधीन स्थापित परिवार सूचना डेटा कोष (एफ0आई0डी0आर0) के अनुसार गाँव की जनसंख्या।

आगे, यह स्पष्ट किया गया है कि किसी विशेष गाँव में उप-टेकों की संख्या उस विशेष गाँव में मुख्य टेका (टेकों) की संख्या को ध्यान में रखे बिना है।”।

विनय प्रताप सिंह,  
आबकारी तथा कराधान आयुक्त,  
हरियाणा।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 10th June, 2025

**No. 24/X-1/P.A.1/1914/S.59/2025.**— In exercise of the powers conferred under section 59 of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and with reference to the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No.17/X-1/P.A.1/1914/S.9/2025, dated the 6th February, 2025, I, Vinay Pratap Singh, Excise Commissioner, Haryana, exercising the powers of Financial Commissioner hereby make the following rules further to amend the Haryana Liquor License Rules, 1970, namely:-

1. (1) These rules may be called the Haryana Liquor License (Amendment) Rules, 2025.
- (2) They shall come into force with effect from the 12<sup>th</sup> day of June, 2025.
2. In the Haryana Liquor License Rules, 1970 (hereinafter called the said rules), in rule 24,-
  - (i) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:-
    - “(i) for a license in form L-1,-
      - (a) ₹3.45 crore in case the quota of Indian Made Foreign Liquor for the policy year 2025-2027, in an excise district is less than or equal to 18 Lakh Proof Litre.
      - (b) ₹4.15 crore in case the quota of Indian Made Foreign Liquor for the policy year 2025-2027, in an excise district is more than 18 Lakh Proof Litre and less than or equal to 45 Lakh Proof Litre.
      - (c) ₹5.00 crore in case the quota of Indian Made Foreign Liquor for the policy year 2025-2027, in an excise district is more than 45 Lakh Proof Litre and less than or equal to 90 Lakh Proof Litre.
      - (d) ₹6.65 crore in case the quota of Indian Made Foreign Liquor for the policy year 2025-2027, in an excise district is above 90 Lakh Proof Litre:

The fee of L-1 license shall be deposited into two equal installments i.e. 50% at the time of allotment and balance 50% amount shall be deposited before 1<sup>st</sup> April, 2026.

In case any new licensee or existing licensee of retail zones wants to apply for L-1 license after 1<sup>st</sup> April, 2026, 60% license fee shall be applicable for the period from 01.04.2026 to 31.03.2027.

Provided that no such license shall be issued unless a refundable security/bank guarantee equivalent to 20% of the total license fee for each L-1 license is deposited which shall be liable to be forfeited or adjusted for any amount or penalty due under the Act. In addition, the licensee shall also submit surety bond equivalent to 80% of L-1 license fee:

Provided further that in case L-1 licensee is found to be indulging in any illegal or clandestine sale of liquor in order to avoid additional excise duty, the amount becoming due on account of penalty etc. towards such L-1 licensee shall also be recoverable from the security deposited by him of his retail outlets (L-2) licenses and in case of shortage in the stock of any L-1 godown is found more than 15,000 Proof Litre and upto 30,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 1.5 times the additional excise duty payable on such stock. In case of shortage in the stock of any L-1 godown is found more than 30,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 2 times the additional excise duty payable on such stock and a breakage of allowance of 0.5% on Indian Made Foreign Liquor, all other remaining type of liquor and 1% on beer shall be allowed. The Excise duty levied in respect to the breakage stock shall not be refunded/adjusted.”;

- (ii) for clause (i-a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i-a) for a license in form L-3 ₹2.00,000/- for the year 2025-2027”;

(iii) for clause (i-bb), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(i-bb) for licenses in form L-4/L-5:-

- (a) L-4/L-5 licenses granted to the hotels of 5 Star grading and above: ₹85,00,000/-

Provided that L-4/L-5 licenses may also be granted to hotels and restaurants within the area notified under Gurugram-Manesar Urban Complex Plan 2031 and also such places where Haryana State Industrial Development Corporation has developed Industrial Model Townships and Theme/Specialized Parks like Industrial Model Townships, Manesar, Industrial Model Townships, Bawal, Industrial Model Townships, Rohtak, Information Technology Park Manesar, Information Technology Park, Panchkula etc. L-4/L-5 licenses may also be granted to the reputed restaurants in the industrial towns Dharuhera and Bahadurgarh and reputed hotels and restaurants situated in the Morni sub-Tehsil area. L-4/L-5 licenses may also be granted to Hotels and Restaurants of repute situated within the limits of Municipal Corporations, Municipal Councils, Municipal Committees and areas under Metropolitan Development Authorities like Gurugram Metropolitan Development Authority, Faridabad Metropolitan Development Authority, Panchkula Metropolitan Development Authority and Sonapat Metropolitan Development Authority etc.:

Provided further that such licensee shall be allowed one main bar and three additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages. In case the licensee wishes to sub-lease one or more additional points, then a fixed fee of Rs.20 Lakh per additional point shall be charged from such licensee. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-4/ L-5 outlets (bars) shall attract VAT @ 18% + surcharge @ 5% on VAT.

- (b) Hotels having grading of 4 Star: ₹60,00,000/-

Provided that such licensee shall be allowed one main bar and two additional points, alongwith room service (L-3), without any further fee. Such licensee shall further be allowed to operate the main bar round the clock. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages:

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted provisionally to a Hotel located anywhere in the State subject to the condition that the applicant shall procure star classification of 3 star and above from the Ministry of Tourism, Government of India within one year of grant of such license, failing which the provisional license shall not be renewed subsequently. The licensee shall apply for the star rating within one month of obtaining the L-4/L-5 license:

- (c) for Hotels having grading of 3 Star,-

Serial Number	Name of District	License fee
1.	Gurugram	₹53,00,000/-
2.	Faridabad, Panchkula and Sonapat	₹38,00,000/-
3.	All other Districts	₹30,00,000/-;

Provided that such licensee shall be allowed one main bar, alongwith one additional point and room service (L-3), without any further fee. By virtue of having L-3 license, these hotels are allowed to keep liquor in the refrigerators kept in the hotels rooms along with other food articles and beverages:

Provided further that L-4/L-5 license shall also be granted to three star and above categories of star hotels located anywhere in the State. In order to promote tourism/adventure sports tourism in the State, the case for grant of a bar license in form L-4/L-5 to any reputed hotel, resort and restaurant etc., having good infrastructure and facilities, but located beyond



geographical restriction as mentioned in relevant clauses of the Excise policy, may be considered by the Government. All such cases shall be sent by the Excise and Taxation Commissioner with his recommendation to Government for approval.

The license of existing functional bars located anywhere in the State shall be renewed by the concerned Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), on behalf of the Collector.

Provided further that such licensee of category (a), (b) and (c) mentioned above shall also be allowed to serve liquor in functions, parties, events and meetings, held in up to three (03) of their identified and approved halls including banquet halls and ground floor lawns, sourced from the main bar, on payment of a one-time fee equal to 50% of his annual license fee.

The L-4/L-5 licensees shall procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees after the payment of levies as specified in Table-I. None of the said two L-2BF licensees can demand from the Bar licensee a price which is more than 10% above the minimum retail sale price fixed as per Clause 9.5.14 in the Excise Policy for the year 2025-2027. In case of non-supply of one or more Imported Foreign Liquor (BIO) Brand(s) by both the said L-2BF licensees, whether due to unavailability or any other reason, a bar licensee can submit a written application specifying quantities of all brands required by him to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner and under intimation to both the L-2BF licensees. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned shall upon receipt of such an application immediately direct both the L-2BF licensees in writing to meet with the demand within a period to be fixed in the direction but not exceeding 15 days in any case. In case of failure by both the L-2BF licensees to meet with the demand of one or more brands within the period prescribed by Deputy Excise and Taxation Commissioner as above, the Bar licensee shall be free to procure supply of such brand(s) from any L-1BF licensee in the State, subject to payment of assessment fee, permit fee and retail permit fee as per Table-II. In every such procurement from an L-1BF by a Bar licensee, it shall be mandatory for the Bar licensee to give a prior written notice specifying the quantity of all the Brands being so procured to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) as well as to the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district where such L-1BF is situated.

**Table-I**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-2BF Licensees</b>		
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre

**Table-II**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-1BF Licensees</b>			
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>	<b>Retail Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹20 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre

Provided that a refundable security of ₹5,00,000/- shall be taken from the L-4/L-5 licensees in addition to the license fee.”;

(d) For a license in form L-4/5, for clauses (a), (b), (c), (d) and (e), the following clauses shall be substituted, namely:-

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| (a) | for district Gurugram   | ₹45,00,000/-                                 |
| (b) | for district Faridabad, Panchkula and Sonapat   | ₹35,00,000/-                                 |
| (c) | for all other districts in the State except<br>Gurugram, Faridabad, Panchkula and Sonapat                   | ₹23,00,000/-                                 |
| (d) | for Bar(s) operated by Haryana<br>Corporation in all districts  | A composite fee of Tourism<br>₹2,70,00,000/- |
| (e) | Bars operated by Haryana Shahri<br>Vikash Pradhikaran in their Gymkhana<br>and Golf Clubs in all districts: | A composite fee of<br>₹2,70,00,000/-         |

Provided that a composite security of ₹6,00,000/- shall be taken from Haryana Tourism Corporation and Haryana Sahari Vikash Pradhikaran in addition to the composite license fee.

Provided further that if any L-4/L-5 licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, except in case of Wine/Beer/RTB/Cider/Liqueur or sale of unaccounted liquor or sale of liquor without holograms/EALs, his license shall be cancelled forthwith and the security amount shall be forfeited. Such licensee shall be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years, if he is found indulged second time in an year, in any of above offence(s).

Further, such licensed premises where the above given violations happened second time in an year then that premises would also be barred for holding any licence under Excise Act for a period of two years from the order of cancellation. The word 'premises' in this clause shall not mean the whole building, but only the approved licensed area.

Note 1. - Any additional point above the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 20 % of the policy year license fee for each such point and maximum number of three additional points per license may be allowed.

Note 2.- In case of bars operated by Haryana Tourism Corporation and Haryana Shahri Vikash Pradhikaran in their Gymkhana and Golf Clubs, they shall be allowed additional point on payment of a fee equal to ₹2 lakh for each such point.”;

(e) The licence fee of L-4, L-5, L-10C, L-10E, L-12C and L-12CC licenses shall be paid in seven equal quarterly instalments, payable in the beginning of first week of each quarter as provided in clause 2.1 of the excise policy, failing which the license shall be liable to be cancelled and security forfeited.

(iv) for clause (i-bbb), the following clause shall be substituted, namely:-

“(i-bbb) for a license in form L-4A ₹2,00,000/- for the Excise Policy year 2025-27.

(v) for clause (i-c) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-c) for a license in form L-1AB,-

1.	In case of new License or where the annual sale from L-1AB, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is equal to or less than 25 Lakh Proof Litre	₹82,00,000/-
2.	In case the annual sale from L-1AB, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 25 Lakh Proof Litre & less than or equal to 50 Lakh Proof Litre.	₹124,00,000/-
3.	In case the annual sale from L-1AB, in the policy year 2023-24 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 50 Lakh Proof Litre or less than or equal to 100 Lakh Proof Litre.	₹228,00,000/-

4.	In case the annual sale from L-1AB, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 100 Lakh Proof Litre.	₹310,00,000/-
As soon as the sale of L-1AB Licensee in the policy year 2025-2027 exceeds higher threshold, as prescribed below, the licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category:-		
Sr. No.	Threshold for sale from L-1AB (in PL) during Excise Policy Year 2025-2027	Applicable License fee
1	Up to or equal to 45 Lakh Proof Litre	₹82,00,000/-
2	More than 45 Lakh Proof Litre & less than or equal to 90 Lakh Proof Litre	₹124,00,000/-
3	More than 90 Lakh Proof Litre & less than or equal to 180 Lakh Proof Litre	₹228,00,000/-
4	More than 180 Lakh Proof Litre	₹310,00,000/-
A refundable security/Bank Guarantee equivalent to 20% of applicable license fee for each license shall be deposited by the licensee at the time of renewal/grant of license.”;		

(vi) for clause (i-cc) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-cc) for a license in form L-1AB1,-

1.	In case of new License or where the annual sale from L-1AB1, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is equal to or less than 50 Lakh Bulk Litre.	₹104,00,000/-
2.	In case the annual sale from L-1AB1, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 50 Lakh Bulk Litre and less than or equal to 100 Lakh Bulk Litre .	₹207,00,000/-
3.	In case the annual sale from L-1AB1, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 100 Lakh Bulk Litre.	₹310,00,000/-
As soon as the sale of L-1AB1 Licensee in the policy year 2025-2027 exceeds higher threshold, as prescribed below, the licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category:-		
Sr. No.	Threshold for sale from L-1AB1 (in BL) during Excise Policy Year 2025-2027	Applicable License fee
1	Up to or equal to 90 Lakh Bulk Litre	₹104,00,000/-
2	More than 90 Lakh Bulk Litre & less than or equal to 180 Lakh Bulk Litre	₹207,00,000/-
3	More than 180 Lakh Bulk Litre	₹310,00,000/-
A refundable security/Bank Guarantee equivalent to 20% of applicable license fee for each license shall be deposited by the licensee at the time of renewal/grant of license.”;		

(vii) for clause (i-e) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-e) for a license in form L-1B,-

1.	In case of new License or where the annual sale from L-1B, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is equal to or less than 25 Lakh Proof Litre	₹62,00,000/-
2.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 25 Lakh Proof Litre & less than or equal to 50 Lakh Proof Litre.	₹145,00,000/-

3.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 50 Lakh Proof Litre & less than or equal to 100 Lakh Proof Litre.	₹259,00,000/-
4.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 100 Lakh Proof Litre & less than or equal to 250 Lakh Proof Litre.	₹362,00,000/-
5.	In case the annual sale from L-1B, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 250 Lakh Proof Litre.	₹830,00,000/-

As soon as the sale of L-1B Licensee in the policy year 2025-27 exceeds higher threshold, as prescribed below, the licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.

Sr. No.	Threshold for sale from L-1B (in PL) during Excise Policy Year 2025-2027	Applicable License fee
1	Up to or equal to 45 Lakh Proof Litre	₹62,00,000/-
2	More than 45 Lakh Proof Litre & less than or equal to 90 Lakh Proof Litre	₹145,00,000/-
3	More than 90 Lakh Proof Litre & less than or equal to 180 Lakh Proof Litre	₹259,00,000/-
4	More than 180 Lakh Proof Litre & less than or equal to 450 Lakh Proof Litre	₹362,00,000/-
5	More than 450 Lakh Proof Litre	₹830,00,000/-

A refundable security/Bank Guarantee equivalent to 20% of applicable license fee for each license shall be deposited by the licensee at the time of renewal/grant of license.

(viii) In clause (i-ee), for sub-clauses (a) and (b) and entries thereagainst, the following sub-clauses and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(a) for a license in form L-1B-1 (for beer),-

(I) In case of new License or where the annual sale of Beer by L-1B-1, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is equal to or less than 50 Lakh Bulk Litre	₹73,00,000/-
(II) In case the annual sale of Beer by L-1B-1, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 50 Lakh Bulk Litre.	₹260,00,000/-

Provided that as soon as the sale of Beer by L-1B-1 Licensee in the policy year 2025-27 exceeds higher threshold, as prescribed below, the licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.

Sr. No.	Threshold for sale from L-1B-1 (in BL) during Excise Policy Year 2025-2027	Applicable License fee
1	Up to or equal to 90 Lakh Bulk Litre	₹73,00,000/-
2	More than 90 Lakh Bulk Litre	₹260,00,000/-

(b) for a license in form L-1B1 (for wine) ₹45,00,000;”.

Provided further that excise duty levied on beer/wine shall also be paid by L-1B1 licensees while obtaining permits.

A refundable security/Bank Guarantee equivalent to 20% of applicable license fee for each license shall be deposited by the licensee at the time of renewal/grant of license.

(ix) for clause (i-eee) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(i-eee) for a license in form L1-B1-A (Ready to Drink Beverages),-

1.	In case of new License or where the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is equal to or less than 1 Lakh Bulk Litre	₹21,00,000/-
2.	In case the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 1 Lakh Bulk Litre & less than or equal to 4 Lakh Bulk Litre.	₹42,00,000/-
3.	In case the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 4 Lakh Bulk Litre & less than or equal to 8 Lakh Bulk Litre.	₹104,00,000/-
4.	In case the annual sale from L1-B1-A, in the policy year 2024-25 (i.e. from 12-06-2024 to 11-06-2025), is more than 8 Lakh Bulk Litre.	₹210,00,000/-

As soon as the sale of L1-B1-A Licensee in the policy year 2025-27 exceeds higher threshold, as prescribed below, licensee shall be required to deposit differential amount of licence fee as applicable in next higher category.”;

Sr. No.	Threshold for sale from L1-B1-A (in BL) during Excise Policy Year 2025-2027	Applicable License fee
1	Up to or equal to 1.8 Lakh Bulk Litre	₹21,00,000/-
2	More than 1.8 Lakh Bulk Litre & less than or equal to 7.2 Lakh Bulk Litre	₹42,00,000/-
3	More than 7.2 Lakh Bulk Litre & less than or equal to 14.4 Lakh Bulk Litre	₹104,00,000/-
4	More than 14.4 Lakh Bulk Litre	₹210,00,000/-

A refundable security/Bank Guarantee equivalent to 20% of applicable license fee for each license shall be deposited by the licensee at the time of renewal/grant of license.

(x) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely : -

“(i-eeee) for a license in form L-1BF. –

- The license fee for the Excise Policy year 2025-2027 for L-1BF shall be ₹8,25,00,000/-.
- The license shall be granted by inviting online applications through the departmental portal.
- In case, the number of eligible applications received in first round is more than or equal to sixteen (16), the L-1BF licence shall be granted to all the eligible applicants. In such a case, the department shall not initiate any further round(s) for allotment of L-1BFs in the State.

Provided that in case, the number of eligible applications received in first round is less than sixteen (16), the department shall initiate more round(s) for allotment of remaining L-1BF licences. The number of remaining L-1BF licenses can be calculated by subtracting the count of L-1BF allotted in all previous round(s) from sixteen (16).

Provided further that in case, the number of eligible applications in second or any subsequent round exceeds the remaining number of L-1BF licensees available for allotment in that particular round, then the grant of such remaining L-1BF licence(s) shall be made by draw of lots amongst eligible applicants of that particular round.

- The applicant shall be allowed to make only one application. The applicant shall be, a wholesale licensee in the State of Haryana or any other State, or a proprietor firm or a partnership firm, or,

a company registered under the Companies Act, 2013 (Central Act 18 of 2013) or a society registered under the relevant law or a firm registered under Limited Liability Partnership Act, 2008 (Central Act 6 of 2009).

- (e) The applicant shall deposit an application fee of ₹5,00,000/-. The application fee shall be non-refundable and non-adjustable. The application shall also be accompanied with an earnest money of ₹50,00,000/-. The application shall be accompanied with documents establishing the identity of the applicant. Identity proof(s) of all the person(s), like proprietor, all the partners, directors and the authorized person, if there is any one so authorized, should be uploaded online along with the application.
- (f) All the applications which are found in order in accordance with the provisions of excise law shall be considered as eligible. The Department shall publish list of eligible applicants on its official website and, this will be treated as date of allotment of his license. The license shall be valid from the date of commencement of policy year or from the day of grant of license, whichever is later.
- (g) The eligible applicant shall deposit a security amount equal to Rs. 1.25 Crores within a week of the date of allotment, or within such other time, as may be prescribed in the notice. The earnest money shall be adjustable towards the payment of amount of security. The licensee shall also be required to declare the storage capacity of his liquor godown at the time of grant of license.
- (h) The earnest money of the applicant shall be forfeited in the following cases:-
  - (i) If he fails to deposit security amount within the prescribed time, or
  - (ii) If any successful applicant fails to furnish documents as he is required to submit in the office within seven days of the allotment, or
  - (iii) In case the applicant is found to have furnished any false information or forged documents in his application, or
  - (iv) If he is found guilty of indulging in any malpractice, or
  - (v) For any other reasons as the Excise Commissioner may think fit.
- (i) The eligible applicant shall have to submit all other documents as are specified in the public notice, instructions issued from time to time, provisions of the Haryana Excise Act, 1914 (Punjab Act 1 of 1914) and the rules framed there under. The eligible/successful applicant, before starting the operation, shall also submit the documents namely proof of identity having his/her photograph like voter ID card, passport, ration card, driving license, Aadhar Card (UID)/PPP (Parivar Pehchan Patra, Income Tax Returns for the last three assessment years, Net worth of minimum Rs. 60 lakhs duly certified by a Chartered Accountant registered with ICAI and a surety bond in the prescribed format.
- (j) The applicant shall be treated as licensee, once he has deposited his security amount.
- (k) The first of the sixteen installments shall be paid by the last day of the calendar month of allotment. The remaining fifteen installments shall be paid by 20<sup>th</sup> of each month, starting from the month following the month of allotment, till all fifteen installments are received.

In case, the license is granted after the month of October, 2025, the license fee component of Rs.7.60 crores shall be divided equally into monthly installments in such a manner that the whole amount is received by the 20<sup>th</sup> January, 2027. The first of these installments shall be paid by the last day of the calendar month of allotment and remaining monthly installment shall be paid by 20<sup>th</sup> of each month following the month of allotment. The remaining part of the license fee shall be adjusted from the security amount of Rs.1.25 Crores. The balance amount from security, if any, shall be refundable after adjusting any amount due towards licensee.

Interest shall be leviable for the period of delay in depositing the license fee in accordance with the provisions of retail licensees of Indian Made Foreign Liquor and Country Liquor.

- (l) The basic quota of Imported Foreign Liquor shall be allocated to L-2BF retail licensees in the State of Haryana which shall be Twenty-two Lakh cases. This quota may further be increased by the Excise and Taxation Commissioner (FC) upto the extent of 50% of basic quota. The minimum quota for each L-1BF Licensee shall be 1,37,500 cases during the policy year 2025-2027.

In case number of L-1BF licensees exceeds sixteen, the minimum quota shall be reduced proportionately among all the L-1BF licensees. A minimum quota of whisky, beer and wine segment of IFL (BIO) is prescribed for each L-1BF. The minimum quota for L-1BF licensee is fixed as follows:-

IFL (BIO) Whisky 1,20,313 cases (87.5% of the minimum quota)

IFL (BIO) Wine 10,312 cases (7.5% of the minimum quota)

IFL (BIO) Beer 6,875 cases (5% of the minimum quota)

Further, the L-1BF licensee may lift any quantity of Imported Foreign Liquor(BIO) over and above this minimum prescribed quota without payment of any additional license fee. Lifting of quota by L-1BF licensees shall be monitored on quarterly basis. The quota lifting schedule for L-1BF licensee shall be as under:-

- |       |           |                       |
|-------|-----------|-----------------------|
| (i)   | Quarter-1 | Minimum 15% of quota  |
| (ii)  | Quarter-2 | Minimum 30% of quota  |
| (iii) | Quarter-3 | Minimum 45% of quota  |
| (iv)  | Quarter-4 | Minimum 60% of quota  |
| (v)   | Quarter-5 | Minimum 74% of quota  |
| (vi)  | Quarter-6 | Minimum 89% of quota  |
| (vii) | Quarter-7 | Minimum 100% of quota |

Provided that in case of L-1BF license allotted during the currency of policy year 2025-2027, the quarter-wise quota shall be calculated by dividing it equally on the number of days basis:

Provided further that the licensee shall have to lift the minimum amount of quota in the policy year. In case of failure to lift the minimum quota shall attract a penalty of ₹2500/- per case for whisky and Rs.2000/- per case for beer and wine. Penalty shall be leviable for deficient quantity of quota lifted at the end of each quarter calculated. However, in case any shortage of quota has been penalized in a quarter, the same deficiency of quota shall not be penalized again in any subsequent quarter(s).

- (m) The assessment fee and permit fee shall be recovered at the time of issuance of permit to L-1BF licensee for procurement of its supplies. The rates of assessment fee and permit fee shall be as under:-

Type of Imported Foreign Liquor	Assessment fee	Permit fee
Whisky	₹175 per Bulk litre	₹50 per Bulk litre
Wine	₹120 per Bulk litre	₹40 per Bulk litre
Beer	₹95 per Bulk litre	₹40 per Bulk litre

- (n) VAT on Imported Foreign Liquor (BIO) shall be charged at the rate of 3% with surcharge @ 5%.
- (o) The labels of each brand of Imported Foreign Liquor (BIO) to be supplied in the state shall be registered with the Department. The brands shall be registered online on the portal of the Department. The labels shall be liable to cancellation for any violation of any applicable law or breach of any provisions of excise law. A fee of ₹30,000/- shall be charged for registration of all types of Imported Foreign Liquor (BIO) brands.
- (p) A penalty of ₹3000/- per bottle, irrespective of size of bottles involved, shall be imposed on every unaccounted bottle of whisky and wine found at the L-1BF premises, or at any other premises like L-1, L-2, L-2BF, L-4 & L-5, L-12C, L-12G, L-10B, L-10E etc. The penalty shall

be imposed on the licensee in whose premises it is found. In case of Beer the penalty shall be ₹1500/- per bottle irrespective of size of bottle.

- (q) A penalty of ₹2000/- per Bottle shall be imposed on the stock of Whisky and Wine of Imported Foreign Liquor (BIO) found short at any licensed premises. In case of beer, a penalty of ₹1000/- per Bottle shall be imposed.
- (r) L-1BF license shall not be located at a place which is less than five Kilometre from any custom bonded warehouse.

Any person holding a valid Import Export Certificate (IEC) and intending to (a) import IFL(BIO) directly in a Custom Bonded Warehouse situated in the State; or (b) receive consignment of Imported Foreign Liquor (BIO) from any other Custom Bonded Warehouse outside the State to its own Custom Bonded Warehouse in the State; or (c) send consignment of Imported Foreign Liquor (BIO) to any other Custom Bonded Warehouse situated within or outside the State from its own Custom Bonded Warehouse in the State; or (d) supply consignment of Imported Foreign Liquor (BIO) to any L-1BF licensee in the State from its Custom Bonded Warehouse situated within or outside the State, shall be required to register such Custom Bonded Warehouse with the department. Such person shall submit application for registration in the format specified by department alongwith a registration fee of Rs. 1,00,000/-. The application for registration shall be submitted in the office of Excise and Taxation Commissioner, Haryana in such manner as may be specified.

Any custom bonded warehouse established in the State and making supply of Imported Foreign Liquor (BIO) within or outside State shall be required to submit monthly information of all receipts and dispatches of liquor (for Haryana and outside) in the manner and format as prescribed by the department. Further, any custom bonded warehouse established outside the State and making supply of Imported Foreign Liquor (BIO) in Haryana shall be required to submit monthly information of such supplies to L-1BF licensees of Haryana in the manner and format as prescribed by the department. In case of non compliance, the supplies from such custom bonded warehouse shall be stopped.

All consignments of Imported Foreign Liquor (BIO) issued from such Custom Bonded Warehouses must be accompanied with a copy of invoice, permit issued by Custom Authority, pass issued by Custom Authorities and a declaration to be specified by the Commissioner.

- (s) The outgoing licensee of L-1BF for the year 2024-2025 can transfer quota of unsold stock of Imported Foreign Liquor as on 11-06-2025 to any of incoming licensees for the policy year 2025-2027. A transfer fee shall also be levied @ ₹75/- per bulk litre for whisky, Scotch, Rum, Vodka, Gin and Brandy etc., @ ₹25/- per Bulk Litre for wine and @ ₹100/- per Bulk litre for Beer. In addition, the licensee shall also be required to pay differential amount of assessment fee, if any.
- (t) The L-1BF licensee shall be entitled to make supplies to L-1 licensees throughout the State. The L-1 licensee will further make supplies to L-2BF licensees. The L-1BF licensees shall also be permitted to make supplies to bar licensees throughout the State.
- (u) The licensee shall install necessary fire-fighting equipment and comply with the norms of the Haryana Fire and Emergency Services Act, 2022, if applicable, in the approved premises.
- (v) The wholesale outlets of Imported Foreign Liquor (BIO) i.e. L-1BF licensees shall have sufficient number of CCTV cameras at entry, exit as well as in the premises with online access of live feed at district office level.
- (w) The non-compliance of provisions of this rule shall attract penal action as per law
- (x) The L-1BF licensee shall not conduct any retail sale.”;
- (xi) for clause (i-eeee), the following clause shall be substituted, namely: -  
 “(i-eeee) for a license in form L-2BF. –  
 (a) The L-2BF license shall be granted mandatorily to certain earmarked retail outlets of Indian Made Foreign Liquor (L-2), in accordance with the potential of the vend for sale of Imported Foreign Liquor (BIO). The licence fee for mandatory L-2BF licenses shall not be charged



separately, it shall be considered as included in the licence fee of retail zone itself. Each such L-2BF shall be granted a minimum quota of Imported Foreign Liquor (BIO) and it will be displayed in the excise arrangement. The L-2BF licencees shall be mandatorily required to lift this quota. The ratio of whisky, wine and beer in the minimum quota for L-2BF licencees shall be 87.5%, 7.5% & 5% respectively. L-2BF licencees will be entitled to additional quota as per the requirement without any additional fee. The quota of Imported Foreign Liquor (BIO) shall be separate from quota of Indian Made Foreign Liquor.

- (b) Retail outlets of Indian Made Foreign Liquor (L-2) of the State, other than those which are earmarked in the excise arrangement, may also obtain the license in the form L-2BF at licence fee in multiple of ₹2 Lakh for minimum quota of 1000 cases each.
  - (c) The provisions of lifting of quota and penalty for non-lifting of quota in case of retail outlets of L-2 and L-14 A shall apply mutatis mutandis to these L-2BF licencees. However, the penalty for short-lifting would be ₹2500/- per case for whisky and ₹2000/- per case for beer and wine.
  - (d) L-2BF licencees shall procure their supplies from any L-1 of the district.
  - (e) The license in form L-2BF shall be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) on behalf of the Collector (Excise).”;
- (xii) for clause (i-g) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely :-

“(i-g) For a license in form L-I-C	Excise Policy period fee at the rates given below against each :-
(I) Whisky/ Scotch	₹ 9,00,000/- per brand
(II) Beer	₹ 5,50,000/- per brand
(III) Rum	₹ 4,00,000/- per brand
(IV) Gin/Vodka/Liqueur	₹2,25,000/- per brand
(V) Wine/Brandy/Cider/Champagne	₹45,000/- per brand
(VI) Whisky/Scotch for supply to CSD	₹3,60,000/- per brand
(VII) Vodka/Brandy/Cider/Wine and Champagne for supply to CSD	₹55,000/- per brand
(VIII) Country Liquor	₹9,00,000/- per brand
(IX) Ready to Drink Beverages (RTB)	₹2,70,000/- per brand
(X) Brand label fee for exports out of State:	
(a) For each particular brand label of Whisky/Scotch/Rum/Gin/Vodka/ Country liquor/Beer	₹2,70,000/- for 1 <sup>st</sup> State ₹90,000/- for every subsequent State
(b) For each particular brand label of Wine/Brandy/Cider/Champagne/ RTB/ Liqueur	₹1,35,000/- for 1 <sup>st</sup> State ₹45,000/- for every subsequent State
(XI) Brand label fee for export out of India: All brands	₹1,80,000/-
(XII) Any subsequent change in any of the approved label during the year	1/3 <sup>rd</sup> of applicable fees as mentioned in this table at serial No. (I) to (XI)”.

- (xiii) for clause (ii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(ii). A license in form L-11 to bottle Indian Made Foreign Spirit shall be granted on payment of license fee of ₹83,00,000/- per annum which shall be renewable on payment of renewal fee of ₹83,00,000/- per annum:

Provided further that the licensee holding license in form L-11 shall be liable to pay registration fee of ₹12.60 Lac per brand on franchise basis for the Excise Policy Year 2025-2027 for the brands to be bottled in Haryana:

Provided further that the license holders of D-2 license and B-I license who bottle brands other than their own brands shall also be liable to pay registration fee at the same rate as holder of license in form L-11.

In addition to registration fee for such bottling both category of licensees referred to above shall also be liable to pay the franchise fee at the following rates:-

Franchise Fee

Type of Liquor	For sale in Haryana	For export out of Haryana
Indian Made Foreign Spirit	Rs. 24/- per Proof Litre	Rs. 10/-per Proof Litre
Beer	Rs. 14/- per Bulk Litre	Rs. 5/-per Bulk Litre
Wine	Rs. 5/-per Bulk Litre	Rs. 5/-per Bulk Litre

(xiv) for clause (ii-c), the following clause shall be substituted, namely : -

“(ii-c) The bottling fee on Indian Made Foreign Spirit and Beer shall be levied as under: -

		For supply within State	For supply outside State within India	Export out of India
(a)	For D-2 licenses bottling their own brands	₹15.00/-per Proof Litre	₹3.50/-per Proof Litre	Nil
(b)	For bottling plants bottling their own brands	₹20.00/-per Proof Litre	₹5.50/-per Proof Litre	Nil
(c)	For bottling of brands not covered in (a) and (b) above and where no franchise fee is levied	₹24.00/- per Proof Litre	₹6.00/-per Proof Litre	Nil
(d)	For bottling of beer by the brewers	₹13.00/- per Bulk Litre	₹1.50/- per Bulk Litre	Nil:

Provided that bottling fee wherever applicable, shall be levied on liquor for export as well as on liquor for local consumption, if no franchise fee is levied.”;

(xv) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iii) For a license in form L-12 ₹2,000”.

(xvi) in clause (iv), for the existing proviso at the end, the following proviso shall be substituted, namely :-

“Provided that a temporary license in form L-12A shall be granted by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned to an individual for serving liquor during a day beyond possession limit. An online application for the grant of license L-12A shall be made for the following places for hosting any personal function, get-together or marriage function etc.:-

- (i) for serving liquor in banquet Halls, Hotels, Clubs, Restaurant, Farm Houses, Community Centres, Public Parks/Places of Haryana Sahari Vikash Pradhikarn and dharamshalas.
- (ii) for licensed Hotels, Restaurant and Clubs for serving liquor outside their licensed premises on a temporary basis on a specific day.
- (iii) Any other private place.

The commercial places like Banquet Halls, Hotels having Party Halls/Lawns shall have to mandatorily register with the Excise Department in the office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the respective district. The registration/renewal fee of Banquet Halls and Hotels having Party Halls/Lawns shall be as under:-

Serial No.	Location of Banquet Hall/Hotel	Registration fee
1	Within the Municipal Corporation limits of Gurugram, Manesar, Panchkula, Faridabad and Sonapat.	₹4,00,000/-
2	Within the limits of Metropolitan Development Authorities like Gurugram Metropolitan Development Authority, Faridabad Metropolitan Development Authority, Sonapat Metropolitan Development Authority and Panchkula Metropolitan Development Authority etc. but excluding the area under the Municipal Corporation.	₹2,00,000/-
3	Within the Municipal Corporation limits of Ambala, Hisar, Karnal, Panipat, Rohtak and Yamunanagar	₹1,00,000/-
4	Other Municipal Council/Committee limits	₹50,000/-
5	Banquet Halls/Hotels falling on National/State Highway outside the Municipal limit of a District (subject to the provision of Excise Policy and Excise rules).	₹50,000/-
6	Banquet Halls falling in Rural Areas (other than those specified in above categories)	₹20,000/-

The fee structure for L-12A license shall be as under:-

(i)	For person serving liquor at unregistered commercial venues	Within the Municipal Corporation limits of Gurugram, Manesar, Panchkula, Faridabad and Sonapat.	₹20,000/-per day per function
		In other Municipalities	₹15,000/-per day per function
		In Rural Areas	₹5,000/-per day per function
(ii)	For person serving liquor at registered commercial venues	Within the Municipal Corporation limits of Gurugram, Manesar, Panchkula, Faridabad and Sonapat.	₹15,000/-per day per function
		In other Municipalities	₹12,500/-per day per function
		In Rural Areas	₹2,500/-per day per function
(iii)	For individual serving liquor at Self occupied private place beyond the possession limit	Across the State	₹5,000/- per day per function

The temporary license in form L-12A license shall not be granted in the licensed premises of any Club, Hotel or Restaurant. The application for grant of L-12A license at all the commercial venues shall also contain the details like name and GSTIN of caterer, the approximate number of guests and the quantity of liquor to be served:

Provided further that in case liquor is served at any Banquet Hall or Hotel etc. without a valid L-12A License, a penalty of ₹50,000/- shall be imposed for first offence, ₹1,00,000/- for second and ₹1,50,000/- for third offence against the Owner/Management/Authorized Person of such Banquet Hall or Hotel. Further, in case of any subsequent violations, such Banquet Hall or Hotel etc. shall be debarred for grant of any excise license/permit for a period of one year.”.

For temporary license in form L-12AA.-,

L-12AA license shall be granted to any person including event organizers for serving liquor during the events like entertainment shows, exhibitions, comedy shows, magic shows, mega shows, celebrity events and other similar events on payment of application fee, as mentioned below:-

No. of persons attending such event	Application fee per event per day (in ₹)
Upto 10000	₹5,00,000/-
10001 or above	₹20,00,000/-

This licence may be applied for a maximum period of three days at a time and shall be granted by Excise and Taxation Commissioner. In addition to application fee, the applicant shall also be required to deposit in advance Excise Duty, Assessment Fee, VAT and other Government levies as applicable on such liquor.

The L-12AA licensee shall pay Assessment Fee on Foreign Liquor and Beer at following rates:-

Liquor Type	Rate of Assessment Fee
IMFL/IFL (BIO)	₹450/- per Proof Litre
Beer/RTB/Wine and any other category	₹300/- per Bulk Litre

The VAT shall be payable by L-12AA licensees at the rates as applicable to bar licensees. The temporary license in form L-12A and L-12AA shall be valid for 24 hours or upto 02:00 A.M of the day subsequent to the day for which the license has been granted, whichever is earlier. The applicant for license in form L-12A and L-12AA shall apply for grant of a such license atleast three working days prior to the event/function.

(xvii) for clause (iv-b), the following clause shall be substituted, namely :-

“(iv-b) for a license in form L-12C,-

Category	Type of license	District	Policy year 2025-2027 License fee	Additional points (Count/License fee)
(i)	L-12 C granted to a club of repute	For the districts having Metropolitan Development Authority	₹ 42,00,000/-	As per provisions applicable to L-4/L-5 license with 3 Star rating
		For other districts	₹ 21,00,000/-	
(ii)	L-12 C granted in a residential condominium	Gurugram	₹32,00,000/-	As per provisions applicable to L-4/L-5 license having no star rating.
		Faridabad	₹25,00,000/-	
		All other districts	₹16,00,000/-	

Provided that L-12C licenses may be granted to the Clubs of repute situated anywhere in the State. L-12C licenses may also be granted in a residential condominium situated anywhere in the State.

This shall be subject to the condition that only the residents of the condominium or their guests shall be allowed to utilize the facilities in a club having L-12C License:

Provided further that in case of L-12C license granted to any army sponsored club like Sirhind Club, Ambala, the army officials shall be allowed to utilize their quota through CSD canteen while the civilian members shall not be entitled for the liquor supplied through CSD canteen. The license fee for such club shall be ₹10 lakh for the Excise Policy Period 2025-2027:

Provided further that if any L-12C licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, except in case of Wine/Beer/RTB/Cider/Liqueur or sale of unaccounted liquor or sale of liquor without holograms/Excise Adhesive Labels, his license shall be cancelled forthwith and or the security amount shall be forfeited. Such licensee shall be debarred for holding any license under the Excise Act for a period of two years, if he is found indulged second time in a year, in any of above offence(s).

Further, such licensed premises where the above given violations happened second time in a year then that premises would also be barred for holding any licence under Excise Act for a period of two years from the order of cancellation. The word 'premises' in this clause shall not mean the whole building but only the approved licensed area.

The L-12C licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees after the payment of levies as specified in Table-I. None of the said two L-2BF licensees can demand from the Bar licensee a price which is more than 10% above the minimum retail sale price fixed as per Clause 9.5.14 in the Excise Policy for the year 2025-2027. In case of non-supply of one or more Imported Foreign Liquor (BIO) Brand(s) by both the said L-2BF licensees, whether due to unavailability or any other reason, a bar licensee can submit a written application specifying quantities of all brands required by him to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner and under intimation to both the L-2BF licensees. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned shall upon receipt of such an application immediately direct both the L-2BF licensees in writing to meet with the demand within a period to be fixed in the direction but not exceeding 15 days in any case. In case of failure by both the L-2BF licensees to meet with the demand of one or more brands within the period prescribed by Deputy Excise and Taxation Commissioner as above, the Bar licensee shall be free to procure supply of such brand(s) from any L-1BF licensee in the State, subject to payment of assessment fee, permit fee and retail permit fee as per Table-II. In every such procurement from an L-1BF by a Bar licensee, it shall be mandatory for the Bar licensee to give a prior written notice specifying the quantity of all the Brands being so procured to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) as well as to the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district where such L-1BF is situated.

**Table-I**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-2BF Licensees</b>		
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre

**Table-II**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-1BF Licensees</b>			
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>	<b>Retail Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹20 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre

Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-12C shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ 5% on VAT:

Provided further that a refundable security of ₹5,00,000/- shall be taken from the L-12C licensees in addition to the license fee.”;

Note:- Any additional point, except the points already allowed, shall be allowed on payment of a fee equal to 20 % of policy year license fee for each such point and maximum number of three additional points per license shall be allowed.”;

(xviii) for clause (iv-c) and entries thereagainst, the following clause and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

“(iv-c) for a license in form L-12CC,-

- |     |   |               |
|-----|---|---------------|
| (a) | Golf Club with the capacity<br>Up to 9 holes (with 2 sale points).  | ₹60,00,000/-  |
| (b) | Golf Club with the capacity<br>Up to 18 holes (with 3 sale points). | ₹100,00,000/- |

Provided that license to serve liquor may only be granted to Golf Clubs having facilities of 9 holes or more and they shall not be permitted as an additional point attached to any hotel or any type of bar license. The L-12CC Club bar licensee shall be allowed to open two more additional points on payment of a fee equal to ₹30 Lakh per additional point. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-12CC shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ 5% on VAT.

The L-12CC licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees after the payment of levies as specified in Table-I. None of the said two L-2BF licensees can demand from the Bar licensee a price which is more than 10% above the minimum retail sale price fixed as per Clause 9.5.14 in the Excise Policy for the year 2025-2027. In case of non-supply of one or more IFL (BIO) Brand(s) by both the said L-2BF licensees, whether due to unavailability or any other reason, a bar licensee may submit a written application specifying quantities of all brands required by him to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner and under intimation to both the L-2BF licensees. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned shall upon receipt of such an application immediately direct both the L-2BF licensees in writing to meet with the demand within a period to be fixed in the direction but not exceeding 15 days in any case. In case of failure by both the L-2BF licensees to meet with the demand of one or more brands within the period prescribed by Deputy Excise and Taxation Commissioner as above, the Bar licensee shall be free to procure supply of such brand(s) from any L-1BF licensee in the State, subject to payment of assessment fee, permit fee and retail permit fee as per Table-II. In every such procurement from an L-1BF by a Bar licensee, it shall be mandatory for the Bar licensee to give a prior written notice specifying the quantity of all the Brands being so procured to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) as well as to the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district where such L-1BF is situated.

**Table-I**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-2BF Licensees</b>		
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre

**Table-II**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-1BF Licensees</b>			
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>	<b>Retail Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹20 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre

Provided further that if any L-12CC licensee is found indulging in sale of liquor in bottles instead of pegs, except in case of Wine/Beer/RTB/Cider/Liqueur or sale of unaccounted liquor or sale of liquor without holograms/Excise Adhesive Labels, his license shall be cancelled forthwith and or the security amount shall be forfeited. Such licensee shall be debarred from holding any license under the Excise Act for a period of two years, if he is found indulged second time in a year, in any of above offence(s).

Further, such licensed premises where the above given violations happened second time in a year then that premises would also be barred for holding any licence under Excise Act for a period of two years from the order of cancellation. The word 'premises' in this clause shall not mean the whole building but only the approved licensed area.

Provided further that a refundable security of ₹5,00,000 shall be taken from the L-12CC Club bar licensees in addition to the license fee.”;

(xix) in clause (v), for sub-clause (i), the following sub-clause shall be substituted, namely :-

“(i) The annual license fee for the wholesale outlet of country liquor (L-13) shall be as under:-

- (1) ₹124.00 Lakh in case the policy year 2025-2027 quota of country liquor in an excise district is equal to or less than 45 Lakh Proof Litre.
- (2) ₹156.00 Lakh in case the policy year 2025-2027 quota of country liquor in an excise district is more than 45 Lakh and less than 90 Lakh Proof Litre.
- (3) ₹207.00 Lakh in case the policy year 2025-2027 quota of country liquor in an excise district is equal to or more than 90 Lakh Proof Litre.

The fee of L-13 license for the Excise Policy Year 2025-27 shall be deposited into two equal installments i.e. 50% at the time of allotment and balance 50% amount will be deposited before 1<sup>st</sup> April, 2026.

In case any new licensee or existing licensee wants to apply for L-13 license after 1<sup>st</sup> April, 2026, 60% license fee shall be applicable for the period from 01.04.2026 (or actual date of grant whichever is later) to 31.03.2027.

Provided that no such license shall be issued unless a refundable security/bank guarantee equivalent to 30 % of the total license fee for each L-13 license is deposited which shall be liable to be forfeited or adjusted for any amount or penalty due under the Act. In addition, the licensee shall also submit surety bond equivalent to 70% of L-13 license fee:

Provided further that in case L-13 licensee is found to be indulging in any illegal or clandestine sale of liquor in order to avoid additional excise duty, the amount becoming due on account of penalty etc. towards such L-13 licensee shall also be recoverable from the security deposited by him of his retail outlets (L-14A) licenses and in case, shortage in the stock of any L-13 godown is found more than 10,000 Proof Litre and upto 20,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 1.5 times the additional excise duty payable on such stock. In case shortage in the stock of any L-13 godown is found more than 20,000 Proof Litre, minimum penalty that may be imposed for breach shall not be less than 2 times the additional excise duty payable on such stock. A breakage of allowance of 0.5% on Country Liquor including Metro shall be allowed. The Excise duty levied in respect of the breakage stock shall not be refunded/adjusted.”;

3. In the said rules, in rule 27, in clause (i), for the word and figure “₹25,000”, the sign and figure “₹50,000” shall be substituted.

4. In the said rules, in rule 27-A, in sub-rule (1), for clauses (iii), (iv), (v) and (vi), the following clauses shall be substituted, namely:-

“(iii) The fee for license in form L-10B ₹20,00,000/-  
located in stores in shopping malls  
having minimum carpet area of 300  
square feet

Provided that the L-10B licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any L-1 Licensee in the district. The L-10B licensee shall be entitled to lift an additional quota upto 10% of

Imported Foreign Liquor basic quota of his zone without payment of any additional assessment fee. Such additional quota shall be over and above the additional quota already prescribed, if any.

(iv) the fee for license in form L-10C shall be as under:-

District	License fee
Gurugram	₹30,00,000/-
Faridabad, Panchkula and Sonapat	₹20,00,000/-
Other remaining districts	₹10,00,000/-:

Provided that L-10C license shall be granted for retail sale of beer to be manufactured by a Microbrewery. This license shall be granted to the holders of L-4/L-5 license.

Provided further that a security of ₹2,00,000/- shall be taken from the L-10C licensees in addition to the license fee.”;

(v) the fee for license in form L-10E shall be as under:-

Serial Number	District	License fee
1.	Gurugram, Faridabad, Panchkula & Sonapat	₹8,00,000/-
2.	Other districts with Municipal Corporation, Council, Committee	₹3,00,000/-:

Provided that in order to promote consumption of low alcoholic content drinks, a license in form L-10E shall be opened in the cities having Municipal Corporation/Municipal Council/Municipal Committee. L-10E licenses may also be granted in Industrial Model Townships, Manesar. Also, in order to promote tourism/adventure sports tourism in the State, the case for grant of a bar license in form L-10E to any reputed hotel, resort and restaurant etc., having good infrastructure and facilities, but located beyond geographical restriction as mentioned in relevant clauses of the Excise policy, shall be considered by the Government. All such cases shall be sent by the Excise and Taxation Commissioner with his recommendation to Government for approval.

The L-10E licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees after the payment of levies as specified in Table-I. None of the said two L-2BF licensees can demand from the Bar licensee a price which is more than 10% above the minimum retail sale price fixed as per Clause 9.5.14 in the Excise Policy for the year 2025-2027. In case of non-supply of one or more Imported Foreign Liquor (BIO) Brand(s) by both the said L-2BF licensees, whether due to unavailability or any other reason, a bar licensee can submit a written application specifying quantities of all brands required by him to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner and under intimation to both the L-2BF licensees. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned shall upon receipt of such an application immediately direct both the L-2BF licensees in writing to meet with the demand within a period to be fixed in the direction but not exceeding 15 days in any case. In case of failure by both the L-2BF licensees to meet with the demand of one or more brands within the period prescribed by Deputy Excise and Taxation Commissioner as above, the Bar licensee shall be free to procure supply of such brand(s) from any L-1BF licensee in the State, subject to payment of assessment fee, permit fee and retail permit fee as per Table-II. In every such procurement from an L-1BF by a Bar licensee, it shall be mandatory for the Bar licensee to give a prior written notice specifying the quantity of all the Brands being so procured to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) as well as to the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district where such L-1BF is situated.

**Table-I**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-2BF Licensees</b>		
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre



**Table-II**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-1BF Licensees</b>			
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>	<b>Retail Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹20 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre

A pub licensee shall be entitled for facilities like additional points, open space, terrace, balcony etc. similar to L-4/L-5 license:

Provided that a security of ₹3,00,000/- shall be taken from the L-10E licensees in addition to the license fee.”.

(vi) the fee for license in form L-10F ₹10,00,000/-

Provided that L-10F licenses shall be granted to those corporate offices having minimum covered area of one lakh square feet in a single premises which shall be self-owned/leased and having atleast 5000 employees. The licensee shall be allowed for possession and consumption of low alcohol content drinks (i.e. RTB, Beer, Wine) by their employees on premises. The minimum area of canteen/eatery, where the license in form L-10F shall be granted in such corporate office, must not be less than two thousand square feet.

The L-10F licensees shall be allowed to procure Imported Foreign Liquor (BIO) from any of the nearest two different L-2BF licensees after the payment of levies as specified in Table-I. None of the said two L-2BF licensees can demand from the Bar licensee a price which is more than 10% above the minimum retail sale price fixed as per Clause 9.5.14 in the Excise Policy for the year 2025-2027. In case of non-supply of one or more IFL (BIO) Brand(s) by both the said L-2BF licensees, whether due to unavailability or any other reason, a bar licensee can submit a written application specifying quantities of all brands required by him to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner and under intimation to both the L-2BF licensees. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned shall upon receipt of such an application immediately direct both the L-2BF licensees in writing to meet with the demand within a period to be fixed in the direction but not exceeding 15 days in any case. In case of failure by both the L-2BF licensees to meet with the demand of one or more brands within the period prescribed by Deputy Excise and Taxation Commissioner as above, the Bar licensee shall be free to procure supply of such brand(s) from any L-1BF licensee in the State, subject to payment of assessment fee, permit fee and retail permit fee as per Table-II. In every such procurement from an L-1BF by a Bar licensee, it shall be mandatory for the Bar licensee to give a prior written notice specifying the quantity of all the Brands being so procured to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) as well as to the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district where such L-1BF is situated.

**Table-I**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-2BF Licensees</b>		
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre

**Table-II**

<b>Levies payable by bar licensees on procurement of Imported Foreign Liquor from L-1BF Licensees</b>			
<b>Type of Imported Foreign Liquor</b>	<b>Assessment Fee</b>	<b>Permit Fee</b>	<b>Retail Permit Fee</b>
Whisky	₹75 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹20 per Bulk Litre
Wine	₹50 per Bulk Litre	₹25 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre
Beer	₹50 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre	₹10 per Bulk Litre

Further, the licensed premises shall not be a thoroughfare or connected to any area frequented by public. A security of ₹3 Lakh shall be paid by the L-10F Licensee in addition to the license fee. Sale of liquor including imported foreign liquor made through L-10F shall attract VAT @ 18 % + surcharge @ 5% on VAT.

5. In the said rules, in rule 36-A-,

(i) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(1) The allotment of vends in rural and urban areas shall be grouped into three types of Zones, namely urban zones, rural zones and mixed zones. The Command area of a rural zone shall be the geographical area specified for establishing rural vends/sub-vends in the Zone as per Excise Arrangement. The Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) will be the competent authority to determine such command area as part of the Excise arrangement. Likewise, in case of mixed zone, the command area shall be the geographical area specified in the excise arrangement for establishing only rural vend/sub-vends therein. The location of vends in urban areas shall be fixed in the Excise arrangement. In rural areas, the licensee shall have freedom to locate his vend(s) at any place within the command area of the Zone, subject to other provisions of excise policy/rules and approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise). However, in exceptional circumstances, the Excise Commissioner (FC) can change the location of any urban vend after passing a speaking order. Similarly, in case of any rural vend or sub-vend as well, the Excise Commissioner (FC), in exceptional circumstances, can direct to shift location of such vend/sub-vend within the command area of the zone.

The licensee shall make his own arrangement for opening of the vend(s) and sub-vend(s), with prior approval of site plan by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district. The location of all L-2/L-14A vends, sub-vends and Tavern located in the district shall be mapped/geo-tagged by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned and shall be uploaded on the web portal of the Department.

The retail licences (L-2 and L-14A) shall be allotted for a period from 12.06.2025 to 31.03.2027, referred hereinafter as policy year 2025-27. The policy year 2025-2027 shall be divided into seven quarters, as under:-

Quarter	Period	Months
1 <sup>st</sup>	12.06.2025 to 30.09.2025	12.06.2025 to 30.06.2025 01.07.2025 to 31.07.2025 01.08.2025 to 31.08.2025 01.09.2025 to 30.09.2025
2 <sup>nd</sup>	01.10.2025 to 31.12.2025	01.10.2025 to 31.10.2025 01.11.2025 to 30.11.2025 01.12.2025 to 31.12.2025
3 <sup>rd</sup>	01.01.2026 to 31.03.2026	01.01.2026 to 31.01.2026 01.02.2026 to 28.02.2026 01.03.2026 to 31.03.2026
4 <sup>th</sup>	01.04.2026 to 30.06.2026	01.04.2026 to 30.04.2026 01.05.2026 to 31.05.2026 01.06.2026 to 30.06.2026

5 <sup>th</sup>	01.07.2026 to 30.09.2026	01.07.2026 to 31.07.2026 01.08.2026 to 31.08.2026 01.09.2026 to 30.09.2026
6 <sup>th</sup>	01.10.2026 to 31.12.2026	01.10.2026 to 31.10.2026 01.11.2026 to 30.11.2026 01.12.2026 to 31.12.2026
7 <sup>th</sup>	01.01.2027 to 31.03.2027	01.01.2027 to 31.01.2027 01.02.2027 to 28.02.2027 01.03.2027 to 31.03.2027

Except the 1<sup>st</sup> Quarter, each quarter shall be further divided into 3 months. Except June, 2025, each excise month shall start from 1<sup>st</sup> day of the calendar month and shall end on last day of calendar month.

Provided that if in any case the main rural vend has to be closed down due to any reason, the licensee shall shift that vend into the command area of that zone with the prior approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of that district.

The allotment of retail outlets of Country liquor and Indian Made Foreign Liquor shall be done in units of Zones. Every zone shall comprise of two vends which shall be displayed in the excise arrangement. The zones shall be categorized as under:-

- (i) Urban Zones having two retail vends, located in urban areas with prefixed locations;
- (ii) Rural Zones having two retail vends, located in rural areas, with flexibility to the licensee to decide the location of these vends anywhere in his command area;
- (iii) Mixed Zones having two retail vends, with such number of vend(s) with prefixed location in urban areas as fixed in the excise arrangement and one remaining vend, if any, in rural area (with flexibility to the licensee to decide the location of such vend anywhere in his command area) in proximity to the location of urban vends of such zone. The establishment of vends shall be subject to the compliance of other provisions of the policy.

The process of allotment shall be conducted by a committee headed by the Deputy Commissioner with Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the respective district as its members, in the presence of the participants who wish to be present on the date of evaluation of e-bids to be published by the department in the newspapers. The allotment of Zone of vends shall be done by way of inviting e-bids.

After preparation of the Excise arrangement, it shall be prominently displayed in the offices of the Deputy Commissioner of the district, office of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district, office of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Sales Tax) of the district as well as office of the Joint Excise and Taxation Commissioner (Range) concerned and on the departmental website [www.haryanatax.gov.in](http://www.haryanatax.gov.in) and objections shall be invited by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned from the public/stakeholders for two days after the display of Excise arrangement and shall decide these objections if any within two days. The decision of the concerned Dy. Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district shall be final:

Provided that allotment of un-allotted zones of vends at the start of the policy year, shall be allotted by inviting e-bids again following the same procedure even after the commencement of the policy year. The process of inviting tenders shall be continued by successively reducing the reserve price in the following manner:-

- (i) In the slabs of maximum upto 5% of the original reserve price in case reserve price of the zone is Rs. 5.00 crore or less;
- (ii) In the slabs of maximum upto 3% of the original reserve price in case reserve price of the Zone is more than Rs.5.00 crore;

till these are allotted or up to 4<sup>th</sup> July, 2025, or the next working day in case 4<sup>th</sup> July, 2025 happens to be a holiday, whichever is earlier. The quota of zone in such case shall be reduced. The

Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) shall be the final authority to fix quota. However, the minimum reduction in quota shall be commensurate to the number of days lapsed before allotment of zone:

Provided further that in case of cancellation of a license, the process of re-allotment shall be initiated by inviting e-bids through advertisement immediately. The reserve price for re-allotment shall be computed proportionately for the remaining period for which the Zone of vends is to be re-allotted using the original license fee. In case no bid is received, the reserve price shall be further reduced by maximum upto 10 % of the above mentioned original reserve price, as Excise and Taxation Commissioner(Financial Commissioner) may deem fit for this purpose and the process of inviting e-bids may be repeated till the Zone of vends is re-allotted. This re-allotment shall be done at the risk and cost of original licensee. The original licensee/ allottee shall be liable to make up any deficiency incurred by the State as a consequence thereof. However, in case a bid higher than the original bid is received, no benefit shall be given to the original allottee.

- (ii) for sub-rule (5), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(5) The bidder shall have to deposit a participation fee of ₹2,25,000/- for each bid in any Zone. The participation fee is non-refundable and non- adjustable. The participation fee shall be deposited through cash or demand draft in the Office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district of his registration. In case of cash, a duly signed receipt shall be issued by the office of Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) .”;

- (iii) for sub-rule (17), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(17) The licensee to whom a retail liquor outlet of country liquor (L-14A) or Indian Made Foreign Liquor (L-2) is allotted, shall be bound to lift its entire quota of Country Liquor or Indian Made Foreign Liquor on quarterly basis from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1) located in every district in the State. The lifting of quota shall mean physical lifting of liquor from the licensed wholesale outlet of Country Liquor (L-13) and licensed wholesale outlet of Indian Made Foreign Liquor (L-1). The maximum basic quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor shall be 2300 Lakh Proof Litre and 1375 Lakh Proof Litre respectively for the Excise Policy Year 2025-2027. It shall be obligatory for a licensee to lift entire basic quota of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor allocated to his/ her Zone of vends as per the schedule below:-

Quarter	Month	Quota in percentage		
		Month-wise quota	Quarter-wise quota	Quarter-wise cumulative quota
1 <sup>st</sup>	12 <sup>th</sup> June, 2025 to 30 <sup>th</sup> June, 2025	3%	15%	15%
	01 <sup>st</sup> July, 2025 to 31 <sup>st</sup> July, 2025	4%		
	01 <sup>st</sup> August, 2025 to 31 <sup>st</sup> August, 2025	4%		
	01 <sup>st</sup> September, 2025 to 30 <sup>th</sup> September, 2025	4%		
2 <sup>nd</sup>	01 <sup>st</sup> October, 2025 to 31 <sup>st</sup> October, 2025	5%	15%	30%
	01 <sup>st</sup> November, 2025 to 30 <sup>th</sup> November, 2025	5%		
	01 <sup>st</sup> December, 2025 to 31 <sup>st</sup> December, 2025	5%		
3 <sup>rd</sup>	01 <sup>st</sup> January, 2026 to 31 <sup>st</sup> January, 2026	5%	15%	45%
	01 <sup>st</sup> February, 2026 to 28 <sup>th</sup> February, 2026	5%		
	01 <sup>st</sup> March, 2026 to 31 <sup>st</sup> March, 2026	5%		
4 <sup>th</sup>	01 <sup>st</sup> April, 2026 to 30 <sup>th</sup> April, 2026	5%	15%	60%
	01 <sup>st</sup> May, 2026 to 31 <sup>st</sup> May, 2026	5%		
	01 <sup>st</sup> June, 2026 to 30 <sup>th</sup> June, 2026	5%		
5 <sup>th</sup>	01 <sup>st</sup> July, 2026 to 31 <sup>st</sup> July, 2026	5%	14%	74%
	01 <sup>st</sup> August, 2026 to 31 <sup>st</sup> August, 2026	4%		
	01 <sup>st</sup> September, 2026 to 30 <sup>th</sup> September, 2026	5%		

6 <sup>th</sup>	01 <sup>st</sup> October, 2026 to 31 <sup>st</sup> October, 2026	5%	15%	89%
	01 <sup>st</sup> November, 2026 to 30 <sup>th</sup> November, 2026	5%		
	01 <sup>st</sup> December, 2026 to 31 <sup>st</sup> December, 2026	5%		
7 <sup>th</sup>	01 <sup>st</sup> January, 2027 to 31 <sup>st</sup> January, 2027	4%	11%	100%
	01 <sup>st</sup> February, 2027 to 28 <sup>th</sup> February, 2027	4%		
	01 <sup>st</sup> March, 2027 to 31 <sup>st</sup> March, 2027	3%		

The licensee shall have to lift 100% of the quota allocated to him as per the schedule described above. Failure to lift prescribed quarterly quota shall attract short quota penalty. Further, the licensee shall have to lift the unlifted quota of previous quarter in the next quarter.

Non compliance of the provision regarding lifting of quarterly quota shall attract a penalty at the rate of Rs.150/-and Rs.200/-per proof litre of Country Liquor and Indian Made Foreign Liquor respectively for the deficient quantity.

The licensee shall pay the short quota lifting penalty within 30 days of last day of the concerned quarter in which default has been made. In case of non-payment of short quota penalty by the day as fixed above, the licensee shall not be entitled to get permit and pass till the payment of penalty amount.”;

- (iv) for sub-rules (19), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(19) No person to whom a license for retail liquor outlet is granted shall establish the same on such premises as is situated at a distance of less than 150 meters from the main gate of a recognized school/college/main bus stand and a place of worship. Provided that in case of Urban retail liquor outlets, the Excise Commissioner can relax such distance from 150 meters to 75 meters on the recommendation of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) concerned. Further, in urban areas, the retail liquor outlets may preferably be located in the market places. However, this provision shall not apply in such cases where a new recognized school/college/main bus stand or a place of worship comes up with a distance of 150 meters during the currency of the policy period, subsequent to the establishment of vend as per the policy year 2025-2027. No vend/sub-vend shall have a front width of more than 25 meters facing the access road”;

- (v) for sub-rules (25) to (27), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

“(25) Every successful allottee of retail Zone of vends shall be required to deposit a security amount equal to 11% of the excise policy year 2025-2027 license fee of the Zone of vends, out of which, 2% of the license fee shall be deposited on the day of evaluation of e-bids, as the case may be; 3% of the license fee within seven days of the allotment or on or before 11<sup>th</sup> June, 2025 whichever is earlier; and the remaining security equal to 6% of the license fee shall be deposited by 18<sup>th</sup> of June, 2025.

In case of bids that exceed the reserve price by more than 25%, the bidder shall have to deposit an amount equal to 11% of his bid amount in addition to the amount applicable as per Earnest money deposit slabs. In case of successful bid, 11% of his bid money shall be deducted by the system and shall be deposited as 11% security. The ninety two Percentage (91%) of his bid money/license fee shall be payable by him in monthly installments, except for the month of June, 2025, each payable by 20<sup>th</sup> day of each calendar month starting from the month of July, 2025 and every subsequent month. For the month of June, 2025, the license fee installment shall be payable by 30<sup>th</sup> June, 2025. The payment shall continue till full amount of 91% is paid by the licensee by way of monthly installments. A part of his security, equal to 9% of his bid money/license fee, shall be adjusted towards his license fee after the payment of installments amounting to 91% of his bid money/license fee. The adjustment shall be made over a period of last two months in two equal installments; each equal to 4.5 % of his bid money/license fee.

(26) The balance security equal to 2% of licensee’s bid money/ license fee shall be refunded after adjusting any amount found outstanding or unpaid towards him by the end of April, 2027. This amount shall be refunded by the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the District. No interest of any kind shall be payable on the security amount. The schedule of installments shall be as under:-

Month	Installment (in terms of %age license fee)
June, 2025	3
July, 2025	4
August, 2025	4
September, 2025	4
October, 2025	5
November, 2025	5
December, 2025	5
January, 2026	5
February, 2026	5
March, 2026	5
April, 2026	5
May, 2026	5
June, 2026	5
July, 2026	5
August, 2026	4
September, 2026	5
October, 2026	5
November, 2026	5
December, 2026	5
January, 2027	2

If an allottee/ licensee fails to make the full payment of security in the prescribed time, his license shall be cancelled automatically and security deposited, if any, shall be forfeited.

In case of failure to adhere to the prescribed time for payment of any of the twenty installments, interests on late payment shall be payable. In case, payment of installment (or part thereof) of any month is made upto last day of the calendar month in which the installment is due, a simple interest at the rate of 12% per annum shall be charged for the days of default on amount of late payment. However, in case default continues beyond last day of the calendar month in which the installment is due, a simple interest at the rate of 18% per annum shall be charged from the first day of the calendar month of default in which the installment was due.

In case any vend or vends of any zone are closed or are subsequently closed on account of falling under Covid Containment Zone, its license fee and quota shall be proportionately waived off in proportion of days of closure. For the purpose of computation of proportionate license fee and quota of a closed vend to be waived off, the license fee and quota of a zone shall be equally divided amongst all the main vends in such zone.

(27) In case of Zones of vends which are allotted/re-allotted during the currency of the policy year, the security equal to 5% of bid money shall be deposited on the day of allotment and remaining security equal to 6% of bid money shall be deposited within ten days of the date of allotment. The Zone of vends shall come into operation from the day following the date of allotment/re-allotment. The license fee for the month in which the allotment/re-allotment is made shall be payable by the end of the month, in proportion to the remaining days of that month. The remaining amount out of 91% of the license fee shall be payable upto 20.01.2027, in equal monthly installments. Thereafter, his security shall be adjusted as in case of other allotments as described in para 6.4 of the Excise Policy 2025-2027.

In case the allotment or re-allotment takes place after December, 2026, the Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner) shall decide the schedule for payment of license fee and lifting of quota in such manner, as he may deem fit.

The date of payment for the month of allotment/re-allotment shall be last day of the month.

(vi) In the said rules, in rule 36-A, after sub-rule (27), the following sub-rules shall be inserted, namely:-

(28) The successful bidder shall have to deposit 2% of the bid amount on the day of allotment as the first part of security. In case he/she fails to deposit the 2% of the bid amount on the said date, bid shall be cancelled and earnest money deposited by him/her shall be forfeited. Such bidder shall be blacklisted for five years. Further, the allotment of such Zone of vends shall be made afresh by e-bids as in the case of un-allotted Zone of vends. A bidder shall be treated as an allottee of a Zone when he deposits 2% of the bid amount on the date of opening of bid itself or immediately thereafter.”.

6. In the said rules, in rule 37,-

(a) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(8) No licensee can at any time advertise the sale of liquor by announcing it on loudspeakers, through social media or by any other means. All signages and advertisements of the availability of liquor shall be prohibited. Further, no signage or any form of advertisement shall be permitted within the zone. The responsibility for any such violation shall lie with the licensee, who will be held accountable if any such infringement is found within the zone.

The retail licensees shall maintain cleanliness and hygiene in and around the shop. Adequate number of dustbins shall be put up inside and outside the vend and Tavern. Proper lighting shall be ensured at the night time.

Moreover, the main signboard should have following prominently displayed at every vend/sub-vend:-

**“CONSUMPTION OF ALCOHOL IS INJURIOUS TO HEALTH” and “BE SAFE - DO NOT DRINK AND DRIVE”**

The following details shall be displayed in Hindi and English on a board of suitable size on the face of vend as well as sub-vend by the retail licensee subject to fulfilment of all other statutory norms and instructions.

Excise Year	
Name of the Licensee	
Contact number of the Licensee	
Zone Number and License number	
Type of outlet (vend/sub-vend)	
Sub-vend serial number as allotted by Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise), if applicable	
Village, District	
Contact number of Excise Inspector	
Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) office contact number	
Time of opening and closing of vend	

The font size of above mandated signboards/displays shall be such as decided by the Excise and Taxation Commissioner at the commencement of Excise Policy 2025-27.

The licensee shall also display the sale price of various brands. In case of any violation of these provisions, a penalty of Rs.1,00,000/-for each advertisement for first offence, a penalty of Rs.2,00,000/-per advertisement for second offence and a penalty of Rs.3,00,000/-per advertisement for third offence shall be imposed on the concerned licensee on whose premises such advertisement has been placed or any other such advertisement placed by the licensee at any of the location in the district. Any subsequent violation will be treated as major violation inviting action under clause 2.13.5 of the excise Policy for the year 2025-2027.

In case of any major violation of the terms and conditions of license granted to any licensee, his/her vends/liquor establishment shall be sealed/de-sealed, if so considered necessary, by the Collector

(Excise), under intimation to the Excise and Taxation Commissioner. Such sealing shall be without prejudice to any other penalty or action that shall be taken against him under the law.

No compensation shall be given to licensee for sealing of his vends/liquor establishments under the above provision.

Further, all Hotels/Pubs/Bars/Restaurants/Cafes having bar licence shall fix the display board on entry as well as in the bar premises for awareness regarding "Consumption and Trafficking of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances is Prohibited in Law and Punishable with the Rigorous Imprisonment and Fine". The bar licensees shall also fix display board for awareness regarding "Be Safe-Don't Drink and Drive" and "Consumption of Alcohol is Injurious to Health".

(b) In sub-rule (11), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

(i) "(a) License in Form L-2, L-10, L-10A, L-14 and L-14A:-

**In Rural Areas**

Sale Hours shall 8.00 A.M. to 11.00 P.M. (Night) from April to October and from 8.00 A.M. to 10.00 P.M. from November to March.

**In Urban Areas**

From 8.00 A.M. to 12.00 (Mid-night) throughout the year.

Any urban vend which intends to operate beyond the stipulated time, may be allowed on payment of following additional licence fee:-

Extension	Additional License Fee
Upto 4 hours	25% of such vend's license fee for Excise Policy Year 2025-2027

Provided that in case of outbreak due to coronavirus, all the excise licensees shall comply with the directions given with regard to working hours/ time schedule for opening and closing of liquor vends/establishments etc. announced by the Ministry of Home Affairs, Government of India, State Disaster Management Authority, Haryana and any other competent authority from time to time to contain the spread of Covid-19 and no compensation of any type whatsoever in licence fee, quota etc. will be given to the licensees on account of reduction in working hours.";

(ii) in clause (e), for the second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that in case of bar licenses in form L-4/L-5/L-10E/L-12C/L-12CC etc. the working hours shall be upto 12 A.M (Midnight) in the State. The timing of these Bars Licenses in Faridabad, Gurugram, Panchkula and Sonapat Districts can be further extended beyond 12.00 A.M as per table given below:-

Extension of Hours in Districts Gurugram and Faridabad	12.06.2025 to 31.03.2026	01.04.2026 to 31.03.2027
12.00 AM (Midnight) to 2.00 AM	Rs.20.00 Lakhs	Rs.25.00 Lakhs
For every Additional Hour after 2.00A.M	Rs.7.50 Lakhs	Rs.10.00 Lakhs

Extension of Hours in Districts Panchkula and Sonapat	12.06.2025 to 31.03.2026	01.04.2026 to 31.03.2027
12.00 AM (Midnight) to 2.00 AM	Rs.7.00 Lakhs	Rs.9.00 Lakhs
For Additional Hour upto 3 A.M	Rs.5.00 Lakhs	Rs.6.00 Lakhs



Provided further that in case of hotels of 4-star category and above, the each allowed additional point timings can be extended from 12 A.M (Midnight) to 2.00 A.M on the payment of additional fee of Rs. 45,00,000”.”

- (c) In sub-rule (32), for clause (iv), the following clause shall be substituted, namely:-

“(iv) The stock transfer fee shall be levied at the rate of ₹8.00/- per proof litre for country liquor, ₹14.00/- per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liquor, ₹12.00/- per bulk litre for beer and ₹14.00/- per bulk litre for all types of Imported Foreign Liquor (BIO).

Provided that inter-district transfer of left over stock of the licensee of the pervious year to a current licensee shall be allowed only in case of wholesalers, after approval of the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹10.00/- per proof litre for country liquor, ₹16.00/- per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liquor, ₹ 13.00/- per bulk litre for beer and ₹16.00/- per bulk litre for all types of Imported Foreign Liquor (BIO).

Provided further that stock surrendered due to determination of wholesale license during the currency of the year shall also be allowed to be transferred to another licensee of the same district or to another licensee of some other district by the Collector (Excise). The stock transfer fee in such cases shall be ₹ 10.00/- per proof litre for country liquor, ₹ 16.00/- per proof litre for all brands of Indian Made Foreign Liquor and ₹ 13.00/- per bulk litre for beer and ₹16.00/- per bulk litre for all types of Imported Foreign Liquor (BIO).

Note: Where the rates of excise duty/assessment fee in the Excise Policy for the year 2025-27 have been increased in case of any type of liquor over the rates of excise duty/assessment fee for the policy year 2024-25, the differential excise duty/assessment fee on the unsold stock as on 12.06.2025 shall be payable, in addition to the stock transfer fee, if any. Moreover, in case, excise duty/assessment fee paid on any stock of liquor in the year 2024-2025 is more than the excise duty/assessment fee payable on such stock in 2025-2027, no adjustment/refund shall be allowed ”.

7. In the said rules, in rule 38, in sub rule (16A),-

- (i) for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

“(a) In rural areas shall have to maintain a minimum distance of 2.0 KMs between any two main vends or between any two sub-vends or between any main vend and sub vend belonging to two different licensees. In case of dispute between a main vend and a sub-vend, preference shall be given to the main vend. In other cases, preference shall be given to the main vend/sub-vend set up earlier in time. The rural vend/sub-vend of a zone shall also have to maintain a minimum distance of 2.0 KMs from any urban vend belonging to a different licensee.

Provided that the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) shall be the competent authority to resolve the conflicts and ensure the compliance of the above provisions for the zones situated within his district. The Collector (Excise) shall be the competent authority to resolve the conflicts and ensure the compliance of the above provisions for zones falling under different districts.

The sub-vend shall also be subject to all other provisions of law. The vend/sub-vend is required to be preferably located outside the ‘phirni’. No vend or sub vend in a rural zone can be located at a distance of less than 100 meters from the main gate of any house except when the licensee has submitted to the jurisdictional Deputy Excise and Taxation Commissioner, the written NOC(s) duly signed by all Heads of the families residing in every house whose main gate is within this 100 meters distance. All the provisions with regard to location of vends shall apply to the sub-vends also.”;

- (ii) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:-

“(g) (a) For opening a sub-vend, the licensee shall have to obtain a license in form L-14A, L-2/SV. Sub-vend shall be allowed within the command area of the Zone, subject to the prior approval of the Deputy Excise and Taxation Commissioner (Excise) of the district concerned. The fee per Sub-vend shall be as follows:-

Population of village	License fee per sub-vend for 2025-2027 (in Rupees)
501- 1000	3.00 Lakh
1001-10000	6.00 Lakh
10001 and above	9.00 Lakh

For sub-vends in rural areas, the provisions shall be applied as per para (b), (c) and (d) mentioned below.

- (b) No sub-vend shall be allowed in a village, if the population of such village is 500 or less.
- (c) One sub-vend shall be allowed in a village, if the population of such village is more than 500 and upto 5000.
- (d) Upto two sub-vends shall be allowed in a village, if the population of such village is more than 5000.

Note:- For the purpose of this provision, "Population of Village" means population of village as per Family Information Data Repository (FIDR) established under the Haryana Parivar Pehchan Act, 2021(20 of 2021) as on date 15.05.2025.

It is further clarified that the number of sub-vends in a particular village is allowed irrespective of count of main vend(s) in that particular village."

VINAY PRATAP SINGH,  
Excise and Taxation Commissioner,  
Haryana.